VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सरकारी योजनाएं

त्रैमासिक रिवीजन

मार्च, 2025 - मई, 2025

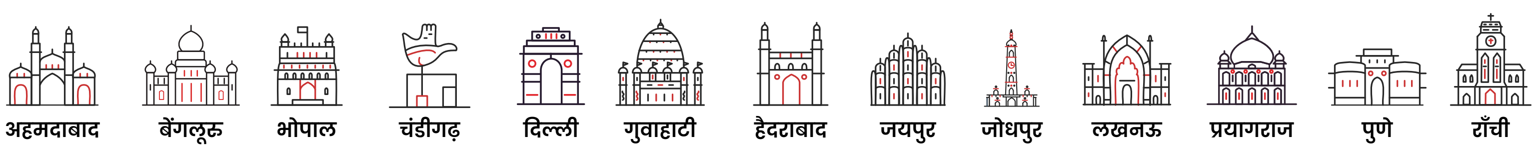

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION
SANDHAN

संधान के जरिए पर्सनलाइज्ड तरीके से UPSC प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए

(ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज)

UPSC प्रीलिम्स की तैयारी के लिए सिर्फ मॉक टेस्ट देना ही काफी नहीं होता है; बल्कि इसके लिए स्मार्ट तरीके से टेस्ट की प्रैक्टिस भी जरूरी होती है।

अभ्यर्थियों की तैयारी के अलग-अलग स्तरों और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, हमने संधान टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया है। यह ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत ही एक पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज है।

संधान की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

प्रश्नों का विशाल संग्रह: इसमें UPSC द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों (PYQs) के साथ-साथ VisionIAS द्वारा तैयार किए गए 25,000 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले प्रश्न उपलब्ध हैं।

प्रश्नों के चयन में फ्लेक्सिबिलिटी: अभ्यर्थी टेस्ट के लिए Vision IAS द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों या UPSC के विगत वर्षों के प्रश्नों में से चयन कर सकते हैं।

प्रदर्शन में सुधार: टेस्ट में अभ्यर्थी के प्रदर्शन के आधार पर, सुधार की गुंजाइश वाले क्षेत्रों पर पर्सनलाइज्ड फीडबैक दिया जाएगा।

पर्सनलाइज्ड टेस्ट: अभ्यर्थी अपनी जरूरत के अनुसार विषयों और टॉपिक्स का चयन करके पर्सनलाइज्ड टेस्ट तैयार कर सकते हैं।

समयबद्ध मूल्यांकन: अभ्यर्थी परीक्षा जैसी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए तय समय-सीमा में टेस्ट के जरिए अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल का मूल्यांकन कर उसे बेहतर बना सकते हैं।

स्टूडेंट डैशबोर्ड: स्टूडेंट डैशबोर्ड की सहायता से अभ्यर्थी हर विषय में अपने प्रदर्शन और ओवरऑल प्रगति को ट्रैक कर सकेंगे।

संधान के मुख्य लाभ

अपनी तैयारी के अनुरूप प्रैक्टिस: अभ्यर्थी अपनी जरूरतों के हिसाब से विषयों और टॉपिक्स का चयन कर सकते हैं। इससे अपने मजबूत पक्षों के अनुरूप तैयारी करने में मदद मिलेगी।

कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज: प्रश्नों के विशाल भंडार की उपलब्धता से सिलेबस की संपूर्ण तैयारी सुनिश्चित होगी।

प्रभावी समय प्रबंधन: तय समय सीमा में प्रश्नों को हल करने से टाइम मैनेजमेंट के लिए कौशल विकसित करने में मदद मिलेगी।

पर्सनलाइज्ड असेसमेंट: अभ्यर्थी अपनी आवश्यकता के अनुसार टेस्ट तैयार करने के लिए Vision IAS द्वारा तैयार प्रश्नों या UPSC में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का चयन कर सकते हैं।

लक्षित तरीके से सुधार: टेस्ट के बाद मिलने वाले फीडबैक से अभ्यर्थियों को यह पता लग सकेगा कि उन्हें किन विषयों (या टॉपिक्स) में सुधार करना है। इससे उन्हें तैयारी के लिए बेहतर रणनीति बनाने में सहायता मिलेगी।

आत्मविश्वास में वृद्धि: कस्टमाइज्ड सेशन और फीडबैक से परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की तैयारी का स्तर तथा उनका आत्मविश्वास बढ़ता है।

यह अपनी तरह की एक इनोवेटिव टेस्ट सीरीज है। संधान के जरिए, अभ्यर्थी तैयारी की अपनी रणनीति के अनुरूप टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे उन्हें UPSC प्रीलिम्स पास करने के लिए एक समग्र तथा टार्गेटेड अप्रोच अपनाने में मदद मिलेगी।

रजिस्ट्रेशन करने और "ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज" का ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

संधान पर्सनलाइज्ड टेस्ट कैसे एक परिवर्तनकारी प्लेटफ़ॉर्म बन सकता है, यह जानने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | राँची

अभ्यर्थियों के लिए संदेश

प्रिय अभ्यर्थी,

हमें **"सरकारी योजनाएं: त्रैमासिक रिवीजन (मार्च, 2025 – मई 2025)"** डॉक्यूमेंट जारी करते हुए अत्यंत खुशी हो रही है। इस डॉक्यूमेंट का मुख्य उद्देश्य निरंतर सीखने की प्रक्रिया को और बढ़ावा देना है।

इस डॉक्यूमेंट को इस तरह से तैयार किया गया है कि अभ्यर्थी **कम समय में रिवीजन** कर सकेंगे और उसे याद भी रख सकेंगे, **ताकि परीक्षा की अंतिम घड़ी के दौरान तनाव कम रहे।**

"सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट" को तीन प्रमुख भागों में बांटा गया है:

- **सुर्ख़ियों में रही योजनाएं:** इस भाग में कमोबेश पिछली तिमाही के दौरान सुर्ख़ियों में रही योजनाओं को शामिल किया गया है।
- **सुर्ख़ियों में रही फ्लैगशिप योजनाएं:** इस भाग में सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण भारत सरकार की "फ्लैगशिप योजनाओं" को शामिल किया गया है।
- **अपने ज्ञान का परीक्षण कीजिए:** अपनी तैयारी और टॉपिक की समझ का परीक्षण करने के लिए दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास कीजिए।

आपकी सफलता ही हमारी प्राथमिकता है और हमें उम्मीद है कि यह त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट आपके लक्ष्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

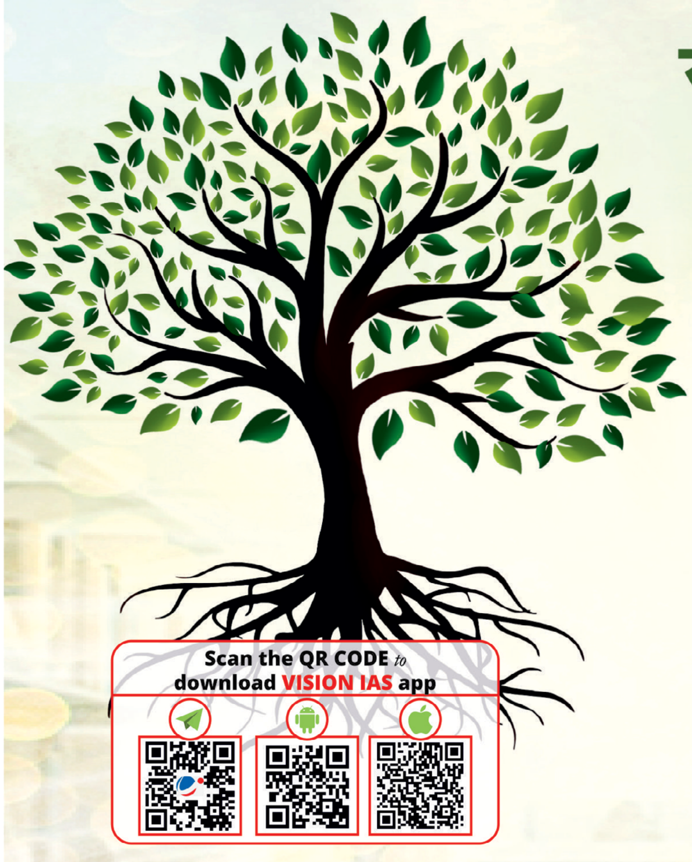

फाउंडेशन कोर्स
सामान्य अध्ययन
प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2026
इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम

- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
- अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
- योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
- नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
- प्री फाउंडेशन कक्षाएं
- सीसैट कक्षाएं
- PT 365 कक्षाएं
- MAINS 365 कक्षाएं
- PT टेस्ट सीरीज
- मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
- निबंध टेस्ट सीरीज
- सीसैट टेस्ट सीरीज
- निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
- करेंट अफेयर्स मैगजीन

नोट: ऑनलाइन छात्र हमारे पाठ्यक्रम की लाइव वीडियो कक्षाएं अपने घर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। छात्र लाइव चैट विकल्प के माध्यम से कक्षा के दौरान अपने संदेह और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। वे अपने संदेह और प्रश्न नोट भी कर सकते हैं और दिल्ली केंद्र में हमारे कक्षा सलाहकार को बता सकते हैं और हम फोन/मेल के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर देंगे।

Scan the QR CODE to download VISION IAS app

DELHI : 11 सितम्बर, 2 PM | JAIPUR : 20 जुलाई | JODHPUR : 15 सितम्बर

विषय-सूची

1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (SCHEMES IN NEWS) 5

1.1. कृषि मंत्रालय (MINISTRY OF AGRICULTURE) 5

1.1.1.प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana: PMKSY) 5

1.2. नागर विमानन मंत्रालय (MINISTRY OF CIVIL AVIATION) 6

1.2.1. उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान)/ क्षेत्रीय संपर्क योजना {Ude Desh Ka Aam Naagrik (UDAN)/Regional Connectivity Scheme (RCS)} 6

1.3. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry Of Electronics And Information Technology) 8

1.3.1. इल्क्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना (Electronics Component Manufacturing Scheme) 8

1.4 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Ministry Of Labour & Employment) 9

1.4.1. प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन योजना (Pradhan Mantri Shram Yogi Maan Dhan: PM-SYM) 9

1.5. वित्त मंत्रालय (Ministry Of Finance) 11

1.5.1. प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri Mudra Yojana: PMMY) 11

1.6. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (Ministry Of Food Processing Industries: MOFPI) 13

1.6.1. प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana: PMKSY) 13

1.7. भारी उद्योग मंत्रालय (Ministry Of Heavy Industries) 15

1.7.1. प्रधान मंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहैंसमेंट (प्रधान मंत्री ई-ड्राइव) योजना {Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement (PM E-DRIVE) Scheme} 15

1.8. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry Of Housing And Urban Affairs) 17

1.8.1. स्मार्ट सिटीज़ मिशन (Smart Cities Mission) 17

1.9. खान मंत्रालय (Ministry Of Mines) 20

1.9.1. प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana: PMKKKY) 20

1.10. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry Of New & Renewable Energy) 23

1.10.1. पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (PM-Surya Ghar: Muft Bijli Yojana) 23

1.11. पंचायती राज मंत्रालय (Ministry Of Panchayati Raj) 25

1.11.1. स्वामित्व योजना (SVAMITVA Scheme) 25

1.12. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (Ministry Of Petroleum And Natural Gas) 26

1.12.1. प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 {Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) 2.0} 26

1.13. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (Ministry Of Ports, Shipping And Waterways) 28

1.13.1. सागरमाला (SAGARMALA) 28

1.14. ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry Of Rural Development) 29

1.14.1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act) 29

1.15. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (Ministry Of Social Justice And Empowerment) 31

1.15.1. नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज़्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम योजना (National Action for Mechanized Sanitation Ecosystem: NAMASTE) 31

1.16. वस्त्र मंत्रालय (Ministry Of Textiles) 33

1.16.1. राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (National Technical Textiles Mission) 33

2. सुर्ख़ियों में रही फ्लैगशिप योजनाएं (FLAGSHIP SCHEMES IN FOCUS) 36

2.1. मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान {PM Gati Shakti National Master Plan (NMP) for Multimodal Connectivity} 37

2.2. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (Member of Parliament Local Area Development Scheme: MPLADS) 37

3. अपने ज्ञान का परीक्षण कीजिए (TEST YOUR LEARNING) 39

अहमदाबाद । बेंगलूरु । भोपाल । चंडीगढ़ । दिल्ली । गुवाहाटी । हैदराबाद । जयपुर । जोधपुर । लखनऊ । प्रयागराज । पुणे । राँची

1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (SCHEMES IN NEWS)

1.1 कृषि मंत्रालय (MINISTRY OF AGRICULTURE)

1.1.1. प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana: PMKSY)

संदर्भ

हाल ही में, कैबिनेट ने **2025-2026 की अवधि के लिए 'कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन' के आधुनिकीकरण** को मंजूरी दी। इसे प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना की **उप-योजना** के रूप में स्वीकार किया गया है।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** खेत तक पानी की भौतिक पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना; खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना; संधारणीय जल संरक्षण प्रथाओं को लागू करना आदि।
- **प्रकार:** केंद्र प्रायोजित योजना।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** राज्य कृषि विभाग कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग होगा।
- **निगरानी और मूल्यांकन:** PMKSY के लिए एक वेब-आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली (PMKSY-MIS) के माध्यम से।

अन्य उद्देश्य

- **खेत के स्तर पर सिंचाई में निवेश का अभिसरण** (जिला स्तर और यदि आवश्यक हो, तो उप-जिला स्तर पर जल उपयोग योजनाओं की तैयारी)।
- **खेत तक पानी की भौतिक पहुंच बढ़ाना** और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना (हर खेत को पानी)।
- **जल स्रोत, वितरण और इसके कुशल उपयोग का एकीकरण करना,** ताकि उपयुक्त प्रौद्योगिकियों एवं प्रथाओं के माध्यम से पानी का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके।
- जल की बर्बादी को कम करने तथा अवधि और सीमा दोनों में उपलब्धता बढ़ाने के लिए **खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार** करना।
- **सटीक सिंचाई और अन्य जल-बचत प्रौद्योगिकियों (प्रति बूंद अधिक फसल)** आदि के स्वीकरण को बढ़ाना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) एक **अम्ब्रेला योजना** है, जिसे वर्ष **2015-16** के दौरान शुरू किया गया था।
- **प्रमुख घटक:**
    - **त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP):** इसका उद्देश्य राष्ट्रीय परियोजनाओं सहित **चल रही प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं** को तेजी से पूरा करना है।
    - **हर खेत को पानी (HKKP):** इसमें **कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन** (CAD&WM), **सतही लघु सिंचाई** (SMI), **जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार** (RRR), तथा **भूजल विकास** जैसे उप-घटक शामिल हैं।
- **अन्य घटक:**
    - **जलसंभर विकास घटक (WDC):** इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय के **भूमि संसाधन विभाग** द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
    - **WDC-PMKSY2.0:** बेहतर परियोजना नियोजन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जीआईएस एवं रिमोट सेंसिंग का उपयोग करके WDC-PMKSY को **WDC-PMKSY 2.0 (2021-2026)** के रूप में जारी रखा गया है।
    - **प्रति बूंद अधिक फसल (PDMC):** यह 2015 से दिसंबर 2021 तक PMKSY का हिस्सा था। तब से, इसे **कृषि विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)** के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है।
- **अभिसरण:** PMKSY का उद्देश्य **मनरेगा, RKVY, सौर मिशन, RIDF, MPLAD, MLALAD, स्थानीय निकाय निधियों और वन विभाग की योजनाओं जैसी ग्रामीण जल संरक्षण एवं प्रबंधन योजनाओं** के साथ अभिसरण सुनिश्चित करना है।

योजना से जुड़े प्रमुख मुद्दे

- **सूक्ष्म-सिंचाई अपनाने में बाधाएं:** इसमें पानी के प्रवाह की कमी, उसके बाद जंगली जानवरों द्वारा फसल क्षति, फीडर पाइप का बंद होना आदि शामिल हैं।
    - **सूक्ष्म-सिंचाई उत्पादों के मुद्दे:** इसमें उच्च प्रारंभिक लागत और सूक्ष्म-सिंचाई डीलरों द्वारा खराब बिक्री के बाद की सेवाएं शामिल हैं।
- **जागरूकता की कमी:** अपर्याप्त प्रचार और किसानों के बीच जागरूकता का निम्न स्तर है, जैसे कि ड्रिप सिंचाई प्रणाली के फायदे के बारे में।
- **क्षेत्रीय असमानताएं:** PMKSY का कवरेज **झारखंड, विदर्भ और मराठवाड़ा** जैसे कुछ अत्यधिक सिंचाई-वंचित क्षेत्रों में सीमित दिखाई देता है।

योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए लक्षित एवं संवर्धित सब्सिडी प्रदान करनी चाहिए; स्थान-विशिष्ट सूक्ष्म-सिंचाई मॉडल्स विकसित करने चाहिए; नियमित रखरखाव सेवाएं सुनिश्चित करनी चाहिए; योजना के कार्यान्वयन और जल उपयोग दक्षता को ट्रैक करने के लिए उपग्रह इमेजरी, ड्रोन और जियोटैगिंग का उपयोग करना चाहिए आदि।

1.2 नागर विमानन मंत्रालय (MINISTRY OF CIVIL AVIATION)

1.2.1. उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान)/ क्षेत्रीय संपर्क योजना {Ude Desh Ka Aam Naagrik (UDAN)/Regional Connectivity Scheme (RCS)}

संदर्भ

किफायती क्षेत्रीय हवाई यात्रा योजना, उड़ान से **1.4 करोड़ से अधिक यात्री लाभान्वित** हुए हैं।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** कम सेवा देने वाले/ बिना सेवा वाले हवाई मार्गों पर हवाई संचालन को सक्षम बनाना। साथ ही, संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना और आम जनता के लिए उड़ान को किफायती बनाना।
- **प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक** योजना है।
- **एयरलाइंस को सहायता:** रियायतें और **वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF)** के रूप में।
- **कार्यान्वयन एजेंसी: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण** (AAI)।

अन्य उद्देश्य

- इसका उद्देश्य **टियर-II और टियर-III शहरों में बेहतर विमानन अवसंरचना तथा हवाई संपर्क की सुविधा** प्रदान करना है। 'उड़ान' विज़न का पालन करके आम नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा करना भी इसका एक उद्देश्य है।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** इसे क्षेत्रीय संपर्क को बेहतर बनाने के लिए **2016 की राष्ट्रीय नागर विमानन नीति (NCAP)** के तहत वित्तीय सहायता और अवसंरचना के विकास के माध्यम से शुरू किया गया था।
- **सब्सिडी वाली सीटें:** उदाहरण- **उड़ान 5.3** के तहत, 501-525 किमी की दूरी के लिए हवाई किराया ₹3828 तय किया गया है। **उड़ान 5.0** के तहत, 600 किमी की सीमा हटा दी गई है (अब कोई दूरी प्रतिबंध नहीं है)।

उड़ान संस्करण 5.0 से 5.4 तक

उड़ान 5.0	उड़ान संस्करण 5.1	उड़ान संस्करण 5.2	उड़ान संस्करण 5.3 और 5.4
600 किमी की सीमा हटाई गई और परिचालन के लिए तैयार हवाई अड्डों को प्राथमिकता दी गई।	VGF में वृद्धि के साथ हेलीकॉप्टर मार्गों का विस्तार किया गया और हवाई किराए की सीमा में कमी की गई।	छोटे विमानों पर ध्यान केंद्रित किया गया और अंतिम मील कनेक्टिविटी के लिए परिचालन लचीलेपन में सुधार किया गया।	बंद किए गए मार्गों को शुरू किया गया, ताकि पॉइंट टू पॉइंट हवाई संपर्कता को बढ़ाया जा सके।

- **क्षेत्रीय संपर्क निधि (RCF):** कुछ घरेलू उड़ानों पर लगाए गए शुल्क के माध्यम से वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) को निधि प्रदान की जाती है। इसका लक्ष्य 2022 तक 30 करोड़ और 2027 तक 50 करोड़ घरेलू टिकट बिक्री करना है।
- **मांग और बाजार-आधारित मॉडल:** राज्यों/ हवाई अड्डों को मुफ्त सुरक्षा, अग्निशमन सेवाएं, कम दरों पर उपयोगिताएं और RCS हवाई अड्डों के लिए भूमि जैसी रियायतें प्रदान की जाती हैं।
- **केंद्रित क्षेत्र:** उड़ान 4.0 उत्तर-पूर्व, पहाड़ी राज्यों और हेलीकॉप्टर्स एवं समुद्री जहाजों वाले द्वीपों के साथ कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देती है।
- **उड़ान के तहत प्रमुख पहलें:**
  - **कृषि उड़ान:** किसानों को कृषि उत्पादों के परिवहन में सहायता करती है, जिससे मूल्य प्राप्ति को बढ़ावा मिलता है। यह उत्तर-पूर्व और आदिवासी जिलों पर केंद्रित है।
  - **अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना (IACS):** राज्यों को उनके अनुरोध पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की कनेक्टिविटी स्थापित करने में मदद करती है।

योजना से जुड़े प्रमुख मुद्दे

- **परिचालन संबंधी मुद्दे:** अधिकांश मार्गों पर यात्रियों की कम मांग तथा 2023 में **46% मार्गों** पर परिचालन बंद हो गया था। केवल **7% मार्ग** ही तीन साल से अधिक समय तक संचालित हो पाए।
- **वित्तीय व्यवहार्यता:** सब्सिडी के बावजूद किराया सीमा और कम लाभ मार्जिन के कारण एयरलाइंस को लाभ कमाने में मुश्किल हो रही है।
- **अवसंरचना में खामियां:** दूरदराज के हवाई अड्डों पर खराब सुविधाएं, प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी आदि।
- **जागरूकता की कमी:** सीमित जागरूकता और एक समर्पित टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म की अनुपस्थिति पहुंच को बाधित करती है, खासकर उन यात्रियों के लिए जो डिजिटल रूप से कम साक्षर हैं।

योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए: परिचालन लागत, ईंधन की कीमतों और मार्ग के प्रदर्शन के आधार पर VGF को समय-समय पर अपडेट करना चाहिए; अविकसित या गैर-परिचालन वाली हवाई पट्टियों के निर्माण एवं आधुनिकीकरण में तेजी लानी चाहिए; यात्रियों की संख्या और क्षेत्रीय

1.3 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry Of Electronics And Information Technology)

1.3.1. इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना (Electronics Component Manufacturing Scheme)

संदर्भ

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने **इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना को अधिसूचित** किया।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण इकोसिस्टम में बड़े निवेश को आकर्षित करना।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** एक नोडल एजेंसी के माध्यम से, जो एक **परियोजना प्रबंधन एजेंसी (PMA)** के रूप में कार्य करेगी।
- **बजट परिव्यय:** प्रशासनिक व्यय सहित ₹22,919 करोड़।
- **पात्रता:** लक्षित खंड के लिए **ग्रीनफील्ड के साथ-साथ ब्राउनफील्ड निवेश** भी पात्र हैं।

अन्य उद्देश्य

- मूल्य श्रृंखला में निवेश को आकर्षित करके एक मजबूत **घटक विनिर्माण इकोसिस्टम** विकसित करना। इससे घरेलू मूल्य संवर्धन (DVA) में बढ़ोतरी होगी और वैश्विक मूल्य श्रृंखला (GVCs) के साथ एकीकृत होकर निर्यात में वृद्धि होगी।

प्रमुख विशेषताएं

- **प्रोत्साहन:** यह योजना उद्योग की जरूरतों के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। इसमें **टर्नओवर-आधारित** (वृद्धिशील टर्नओवर/ बिक्री पर), **पूंजीगत व्यय-आधारित** (पात्र पूंजी निवेश पर), या दोनों का **हाइब्रिड प्रोत्साहन** शामिल है।
- **अवधि:**
  - **टर्नओवर-आधारित प्रोत्साहन:** छह साल और एक साल की जेस्टेशन अवधि के साथ।
  - **कैपेक्स-आधारित प्रोत्साहन:** पांच साल।
- **लक्ष्य खंड:** योजना के तहत कवर किए गए लक्ष्य खंडों में निम्नलिखित शामिल होंगे:
  - **सब-असेंबली:** डिस्प्ले मॉड्यूल सब-असेंबली और कैमरा मॉड्यूल सब-असेंबली।
  - **बेयर कंपोनेंट्स:** इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों के लिए गैर-सरफेस माउंट डिवाइस (non-SMD) पैसिव कंपोनेंट; इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों के लिए इलेक्ट्रो-मैकेनिकल; डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए ली-आयन सेल; मोबाइल, आईटी हार्डवेयर उत्पादों और संबंधित उपकरणों के लिए एनक्लोजर आदि।
  - **चुनिंदा बेयर कंपोनेंट्स:** हाई-डेंसिटी इंटरकनेक्ट (HDI)/ मॉडिफाइड सेमी-एडिटिव प्रोसेस (MSAP) आदि।
- **आपूर्ति श्रृंखला इकोसिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए पूंजी उपकरण:** सब-असेंबली एवं बेयर कंपोनेंट्स के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले पार्ट्स/ कंपोनेन्ट्स; इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले पूंजीगत सामान, जिनमें उनकी सब-असेंबली और कंपोनेन्ट्स शामिल हैं आदि।

1.4 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Ministry Of Labour & Employment)

1.4.1. प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन योजना (Pradhan Mantri Shram Yogi Maan Dhan: PM-SYM)

संदर्भ

प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) के **छह साल पूरे** हो गए।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य: असंगठित क्षेत्र** के कामगारों को **सामाजिक सुरक्षा** प्रदान करना।
- **प्रकार: केंद्रीय क्षेत्रक** योजना।
- **प्रकृति:** यह एक **स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना** के रूप में **50:50** के आधार पर संचालित होती है।
- **कार्यान्वयन एजेंसी: LIC** पेंशन फंड मैनेजर होगा और पेंशन भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा।

अन्य उद्देश्य

- असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए **वृद्धावस्था सुरक्षा** सुनिश्चित करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **स्वैच्छिक और अंशदान आधारित पेंशन: लाभार्थी** को एक **निर्दिष्ट आयु तक विशेष अंशदान** का भुगतान करना होता है। **केंद्र सरकार** लाभार्थी के **अंशदान के बराबर का योगदान** करती है।
- **न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन:** इसके तहत लाभार्थी को **60 वर्ष की आयु के बाद प्रति माह न्यूनतम 3,000 रुपये** की सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी।
- **पारिवारिक पेंशन:** पेंशन मिलने के दौरान **लाभार्थी की मृत्यु होने पर** लाभार्थी के जीवनसाथी को मूल पेंशन का **50% पारिवारिक पेंशन** के रूप में प्राप्त करने का अधिकार होगा। पारिवारिक पेंशन **केवल लाभार्थी के जीवनसाथी को ही मिलेगी।**
- **अन्य योजनाओं के साथ अनुकूलता:** पात्र व्यक्ति **अटल पेंशन योजना (APY)** के साथ-साथ PM-SYM में भी शामिल हो सकता है।
- **नामांकन एजेंसी:** देश में सभी कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSCs) इस योजना में नामांकन करने की सुविधा प्रदान कर रहे हैं।
- **अंशदानों का नियमित भुगतान:** यदि कोई लाभार्थी लगातार अंशदान करने में विफल रहता है, तो उसके पास अपने **भुगतान को नियमित करने का विकल्प** होता है। इसमें लाभार्थी को **सरकार द्वारा पेनल्टी के रूप में तय किए गए शुल्क** के साथ संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान करना होगा।
- **नामांकन के लिए निर्धारित शर्तें:** व्यक्ति के पास आधार कार्ड के साथ-साथ IFSC सहित **बचत खाता/ जन धन खाता** होना चाहिए।
- **योजना को छोड़ने संबंधी प्रावधान और रिफंड:**
    - **10 वर्ष से कम:** यदि लाभार्थी **10 वर्ष से कम की अवधि के भीतर इस योजना को छोड़** देता है, तो **केवल लाभार्थी द्वारा किया गया अंशदान बचत खाते पर मिलने वाली ब्याज दर के साथ लौटा** दिया जाएगा।
    - **10 साल के बाद लेकिन 60 साल से पहले:** यदि लाभार्थी 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के बाद लेकिन 60 वर्ष की उम्र तक पहुंचने से पहले योजना को छोड़ देता है, तो **लाभार्थी को संचित ब्याज के साथ अपने अंशदान का हिस्सा** प्राप्त होता है। यह संचित ब्याज या तो **फंड द्वारा अर्जित ब्याज होगा या बचत बैंक ब्याज दर के आधार पर** होगा। इनमें से जो भी अधिक होगा, उसका लाभार्थी को भुगतान कर दिया जाएगा।
    - **60 वर्ष से पहले स्थायी दिव्यांगता:** यदि लाभार्थी **60 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाता है और योजना में शामिल नहीं** रह सकता है, तो उसके/ उसकी जीवनसाथी के पास नियमित अंशदान का भुगतान करके योजना में बने रहने या योजना को छोड़ने का विकल्प होता है।
- **इस योजना के तहत अपात्र लाभार्थी:** व्यक्ति को **NPS, ESIC योजना** या **EPFO** में नामांकित नहीं होना चाहिए और उसे **करदाता** भी नहीं होना चाहिए।

प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन योजना (PM-SYM) पेंशन योजना

असंगठित कामगारों के लिए वृद्धावस्था संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना

पात्रता मानदंड

यह योजना केवल असंगठित कामगारों के लिए है।	**योजना में प्रवेश लेने की आयु 18 से 40 वर्ष है।**	**मासिक आय 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए**

*पंजीकरण के लिए **आधार कार्ड** आवश्यक है।

योजना से जुड़े प्रमुख मुद्दे

- **सरकारी फंडिंग में कमी:** पिछले दो वर्षों में सरकारी योगदान आधा हो गया है, वास्तविक व्यय **वित्त वर्ष 2021-22 में ₹324.23 करोड़ से घटकर वित्त वर्ष 2023-24 में ₹162.51 करोड़** हो गया है।
- **कम नामांकन: PM-SYM** का लक्ष्य 2023 तक 100 मिलियन कामगारों का नामांकन करना था, लेकिन **वित्त वर्ष 2024 तक यह केवल 5 मिलियन** तक ही पहुंच पाया है, जो 565 मिलियन के असंगठित कार्यबल का 1% से भी कम है।
- **कामगारों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां:** कामगारों को खासकर आय की अनिश्चितता या नौकरी छूटने की अवधि के दौरान PM-SYM योजना में लगातार योगदान बनाए रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

PM-SYM को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, सुधारों को **जागरूकता बढ़ाने, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नामांकन को सरल बनाने, और समय पर सरकारी योगदान सुनिश्चित करने, निगरानी प्रणालियों को मजबूत करने**, आदि पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

1.5 वित्त मंत्रालय (Ministry Of Finance)

1.5.1. प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri Mudra Yojana: PMMY)

संदर्भ

8 अप्रैल 2025 को प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के **10 साल पूरे** हो गए।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** PMMY को **गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि, लघु और सूक्ष्म उद्यमों को मुद्रा ऋण** प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है।
- **प्रकार:** यह एक **केंद्रीय क्षेत्रक** योजना है।
- **इच्छुक लाभार्थी:** किसी भी भारतीय नागरिक के पास **गैर-कृषि क्षेत्र के लिए व्यावसायिक योजना** हो और जिसकी ऋण आवश्यकता **₹20 लाख से कम** हो।
- **ऋण के लिए पात्र क्षेत्रक:** विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रक तथा कृषि से संबंधित गतिविधियां।

अन्य उद्देश्य

- देश में **सूक्ष्म उद्यमों को बिना किसी गारंटी के ऋण** उपलब्ध कराना।
- **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME)** (जो अब तक वित्त से वंचित थे) को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाकर तथा उन्हें किफायती ऋण देकर, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- **हाशिए पर मौजूद और सामाजिक-आर्थिक रूप से उपेक्षित वर्गों** को वित्तीय समावेशन एवं सहायता प्रदान करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** यह योजना **2015** में शुरू की गई थी।
- **मुद्रा (MUDRA):** माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड (MUDRA) एक **पुनर्वित्त एजेंसी है, न कि प्रत्यक्ष ऋण देने वाली संस्था।**
- यह अपने मध्यस्थों, जैसे- **बैंकों, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (MFIs) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs)** को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करती है।
- यह **कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत एक **कंपनी** के रूप में और **RBI के साथ एक NBFC** के रूप में पंजीकृत है।
- **मुद्रा ऋण प्राप्त करने के साधन:** बैंक, NBFCs, MFIs आदि या **उद्यमी मित्र पोर्टल** के माध्यम से।

- **वित्तीय सहायता के प्रकार:** टर्म लोन (Term Loan); ओवरड्राफ्ट सीमा (Overdraft Limit); कार्यशील पूंजी (Working Capital); पूंजीगत सामानों की खरीद के लिए कंपोजिट ऋण (Composite Loan for Acquiring Capital) आदि।
- **जमानत (Collateral) की आवश्यकता नहीं: क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स (CGFMU)** इन जमानत-मुक्त सूक्ष्म ऋणों के लिए गारंटी कवरेज प्रदान करता है।
- **ब्याज दर:** यह विनियमित नहीं है। PMMY के तहत सभी पात्र आवेदकों को **शिशु सेगमेंट ऋण का त्वरित भुगतान करने पर 12 महीने की अवधि के लिए 2% की ब्याज छूट** दी जाती है।
  - इसके अलावा, **मुद्रा (MUDRA)** ने **महिला उद्यमियों** को ऋण प्रदान करने वाले MFIs/ NBFCs को अपनी ब्याज दरों में **25 बेसिस प्वाइंट्स (bps) की छूट** दी है।
- **मुद्रा कार्ड:** यह ऋण लेने वालों को ओवरड्राफ्ट सुविधा के रूप में **कार्यशील पूंजी (Working capital) जुटाने की सुविधा** प्रदान करता है।

मुद्रा ऋण की श्रेणियां

निम्न प्राथमिकता		उच्च प्राथमिकता	
तरुण प्लस: 10 लाख रुपये से अधिक और 20 लाख रुपये तक का ऋण।	**तरुण:** 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक का ऋण	**किशोर:** 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक का ऋण	**शिशु:** 50,000 रुपये तक का ऋण

- **मुद्रा मित्र:** यह एक मोबाइल फोन एप्लिकेशन है। यह ऋण के आवेदक को PMMY के तहत मुद्रा ऋण प्राप्त करने हेतु किसी बैंक से संपर्क करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है।

योजना से जुड़े प्रमुख मुद्दे

- **गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) संबंधी चिंताएं:** जमानत की कमी से बैंकों में NPAs का डर बढ़ जाता है, जिससे वे ऋण देने में जोखिम से बचते हैं।
- **कार्यान्वयन:** सीमित कर्मचारियों और स्टाफ की कम संख्या के कारण ग्राहकों के बड़े समूह को सेवा प्रदान करने में चुनौतियां, जागरुकता कार्यक्रम की कमी आदि।
- **कमजोर ऋण पहुंच:** कमजोर वर्गों और दूरदराज के क्षेत्रों तक वित्तीय सेवाएं अपर्याप्त रूप से पहुंच रही हैं।
- **केंद्रीकृत डेटाबेस की कमी:** ग्राहकों के बारे में जानकारी एकत्र करने और बैंक खाता औपचारिकीकरण को सक्षम करने के लिए केंद्रीकृत डेटाबेस की कमी है।

मुद्रा योजना की सफलता के लिए **वित्तीय संधारणीयता सुनिश्चित** करने और सकारात्मक परिणाम उत्पन्न करने हेतु **मजबूत डिज़ाइन, प्रभावी जोखिम प्रबंधन और कुशल प्रशासन** की आवश्यकता है।

1.6 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (Ministry Of Food Processing Industries: MOFPI)

1.6.1. प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana: PMKSY)

संदर्भ

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने **PMKSY के अंतर्गत कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए अभिरुचि-पत्र** आमंत्रित किए।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को एक बड़ा बढ़ावा देना।
- **प्रकार: केंद्रीय क्षेत्रक** योजना
- **संभावित लाभ:** किसानों की आय को दोगुना करना, रोजगार सृजित करना, कृषि उपज की बर्बादी को कम करना।
- **अवधि:** 2021-22 से 2025-26 तक

अन्य उद्देश्य

- खेतों से लेकर खुदरा दुकानों तक **कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना** का निर्माण करना।
- **किसानों को बेहतर प्रतिफल** प्रदान करने और विशेष रूप से **ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर** पैदा करने में मदद करना।
- कृषि उपज की **बर्बादी को कम** करना, **प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाना** और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के **निर्यात में वृद्धि** करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** केंद्र ने 2017 में 2020 तक कार्यान्वयन के लिए **SAMPADA (कृषि-समुद्री प्रसंस्करण और कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टरों के विकास के लिए योजना)** नामक अम्ब्रेला योजना को मंजूरी दी थी। बाद में, कुछ घटकों को बंद करने के बाद इस योजना का नाम बदलकर '**प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY)**' कर दिया गया।
- **PMKSY के घटक:**
  - **एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना (कोल्ड चेन):** यह खेत से लेकर उपभोक्ता तक निर्बाध कोल्ड चेन सुविधाएं प्रदान करती है।
    - इन्हें **पात्र फर्मों, कंपनियों, सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों (SHGs), किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), गैर-सरकारी संगठनों (NGOs), सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs)** आदि द्वारा स्थापित किया जाता है।
    - **फलों और सब्जियों** के लिए कोल्ड चेन को **ऑपरेशन ग्रीन्स (OG) योजना** के तहत कार्यान्वित किया जाता है, ताकि यह

सुनिश्चित किया जा सके कि यह उद्देश्य के अनुरूप हो।

- **ऑपरेशन ग्रीन्स (OG)** की घोषणा **2018-19** के केंद्रीय बजट में **"ऑपरेशन फ्लड"** की तर्ज पर की गई थी।
  - शुरुआत में, यह योजना **टमाटर, प्याज और आलू (TOP)** मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए शुरू की गई थी।
  - **2020 के "आत्मनिर्भर भारत पैकेज"** के तहत, इसका दायरा **TOP** फसलों से बढ़ाकर सभी फलों और सब्जियों (यानी **TOP** से **TOTAL**) तक कर दिया गया।
- **एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर (APC) के लिए अवसंरचना का निर्माण:** इसका उद्देश्य **लघु पैमाने की खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों** की स्थापना करना है, जो **मेगा फूड पार्कों** के समान होंगी। इसके लिए **कम-से-कम 10 एकड़ भूमि** की आवश्यकता होती है।
  - **खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमताओं का निर्माण/ विस्तार (यूनिट स्कीम):** यह **मेगा फूड पार्कों (MFPs) और APCs के भीतर प्रसंस्करण सुविधाओं** के निर्माण एवं विस्तार पर केंद्रित है। इसे **सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs), संयुक्त उद्यमों, FPOs, NGOs, सहकारी समितियों, SHGs, निजी फर्मों और व्यक्तियों** द्वारा खाद्य इकाई की स्थापना या आधुनिकीकरण के लिए कार्यान्वित किया जाता है।
- **खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना (FTL):** यह **खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं तथा वैश्विक प्रमाण-पत्रों (HACCP, ISO 22000)** का समर्थन करती है।
- **मानव संसाधन और संस्थान (HRI)-अनुसंधान एवं विकास:** 15वें वित्त आयोग (FC) चक्र के लिए 100 अनुसंधान एवं विकास (R&D) परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
- **अन्य विशेषताएं**
  - **योजनाओं के बीच पुनः आवंटन:** मध्यावधि सुधार के आधार पर, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) के प्रभारी मंत्री द्वारा **योजना के मूल परिव्यय के 25% तक अंतर-योजना पुनः आवंटन को मंजूरी** दी जा सकती है।
  - **प्रतिबद्ध देनदारी की बचत का उपयोग:** किसी भी योजना के लिए प्रतिबद्ध देनदारी से हुई बचत का उपयोग **उस योजना के तहत नई परियोजनाओं की मंजूरी** के लिए किया जाएगा।

QCI

खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करने के लिए (QCI) की पहलें

- QCI ने विश्व स्तर पर स्वीकृत **कोडेक्स मानकों** के आधार पर **"इंडियाGHP"** और **"इंडियाHACCP"** विकसित की हैं।
- ये योजनाएं भारत की **खाद्य श्रृंखला से संबंधित उद्योग को महंगे और समय लेने वाले विदेशी प्रमाण-पत्रों के बिना वैश्विक मानकों का अनुपालन प्रदर्शित** करने में मदद करेंगी, जैसा कि कई देशों ने अनिवार्य किया है।
  - **मांस, मछली, डेयरी** जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रकों के लिए **खतरा विश्लेषण महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु (HACCP)।**
  - सभी खाद्य क्षेत्रकों में **अच्छे स्वास्थ्यकर व्यवहार (GHP)।**

योजना से जुड़े प्रमुख मुद्दे

- **निधियों का कम उपयोग:** उदाहरण के लिए- 2022-23 और 2023-24 में, वास्तविक व्यय संशोधित अनुमान (RE) आवंटन का क्रमशः **83.49% एवं 89.42%** था।
- **बजटीय आवंटन में कमी:** PMKSY के लिए बजटीय आवंटन 2023-24 में **₹923 करोड़ से घटाकर 2024-25 के लिए ₹729 करोड़** कर दिया गया।
- **विशिष्ट श्रेणियों के लिए कम उपयोग:** अनुसूचित जाति (SC)/ अनुसूचित जनजाति (ST) और पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) मदों के तहत परियोजनाओं के लिए निधियों का उपयोग बहुत कम रहा है।
- **अपर्याप्त प्रस्ताव:** मंत्रालय ने कम उपयोग का कारण **अपर्याप्त पात्र प्रस्तावों** को बताया है।
- **जेस्टेशन अवधि और मंजूरी में देरी:** परियोजना जमा दस्तावेजों के लिए लंबी जेस्टेशन अवधि (18 से 30 महीने) और विभिन्न एजेंसियों से वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने में देरी पूर्ण निधि उपयोग में महत्वपूर्ण बाधाएं हैं।

PMKSY के प्रभाव को बढ़ाने के लिए, **अनुमोदन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, दूरदराज के क्षेत्रों में कोल्ड चेन के बुनियादी ढांचे में सुधार करने, खाद्य प्रसंस्करण में भाग लेने के लिए FPOs को प्रोत्साहित करने, पारदर्शिता एवं दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कृषि-तकनीक व डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ अभिसरण में सुधार** करने पर ध्यान होना चाहिए।

1.7 भारी उद्योग मंत्रालय (Ministry Of Heavy Industries)

1.7.1. प्रधान मंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहैंसमेंट (प्रधान मंत्री ई-ड्राइव) योजना {Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement (PM E-DRIVE) Scheme}

संदर्भ

भारी उद्योग मंत्रालय को **कर्नाटक राज्य से पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों के आवंटन की मांग वाला प्रस्ताव** प्राप्त हुआ।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को तेजी से अपनाने, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने और EVs विनिर्माण इकोसिस्टम को बढ़ाने में तेजी लाना।
- **प्रकार: केंद्रीय क्षेत्रक** योजना।
- **अवधि:** अक्टूबर 2024-31 मार्च 2026 तक।
- **लक्ष्य:** इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों (e-2Ws), इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों (e-3Ws), इलेक्ट्रिक-एम्बुलेंस, इलेक्ट्रिक-ट्रक और अन्य नए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए **सब्सिडी या मांग आधारित प्रोत्साहन।**

अन्य उद्देश्य

- इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को अपनाने में तेजी लाना, देश भर में आवश्यक चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना करना, तथा स्वच्छ और अधिक संधारणीय परिवहन साधनों को बढ़ावा देना।

प्रमुख विशेषताएं

- **घटक:**
  - **सब्सिडी:** e-2Ws, e-3Ws, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक, और अन्य उभरती हुई EV श्रेणियों जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मांग प्रोत्साहन।
  - **पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए अनुदान:** इलेक्ट्रिक बसों (ई-बसों) के लिए धन, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना, और भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) की परीक्षण एजेंसियों का आधुनिकीकरण।
  - **प्रशासनिक सहायता:** सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) गतिविधियां और परियोजना प्रबंधन एजेंसी (PMA) के लिए शुल्क।
- **मांग प्रोत्साहन:** सीधे खरीद के समय उपभोक्ताओं के लिए EV की अग्रिम लागत को कम करना।
- **ई-वाउचर प्रणाली:** प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए आधार-आधारित e-KYC प्रमाणित ई-वाउचर।

- **स्थिरता और सुरक्षा:** सभी पात्र EVs को प्रदर्शन और सुरक्षा मानदंडों को पूरा करना होगा। इससे उन्नत बैटरियों एवं पुराने वाहनों को स्क्रैप करने को बढ़ावा मिलेगा।
- **इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS) 2024 को शामिल किया गया: EMPS 2024** को 01.04.2024 से 30.09.2024 की 6 महीने की अवधि के लिए लागू किया गया था। इस योजना को **PM E-DRIVE** योजना में समाहित कर दिया गया है।

पात्र श्रेणियां

- **इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन (e-2Ws):** निजी स्वामित्व वाले और व्यावसायिक रूप से पंजीकृत दोनों के तरह के e-2Ws पर लागू।
- **इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन (e-3Ws):** पंजीकृत ई-रिक्शा/ ई-कार्ट (L5 श्रेणी) शामिल हैं।
- **इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस (e-ambulances):** पात्रता का निर्धारण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के परामर्श से किया जाना है।
- **इलेक्ट्रिक ट्रक (e-trucks):** सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH)-अनुमोदित केंद्रों से स्क्रैपिंग प्रमाण-पत्र की आवश्यकता है।
- **इलेक्ट्रिक बसें (e-buses):** MoRTH दिशा-निर्देशों के अनुसार पुरानी बसों को स्क्रैप करने वाले शहरों को प्राथमिकता।
- **चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर:** अपस्ट्रीम बिजली अवसंरचना सहित परियोजना लागतों के लिए 100% फंडिंग लचीलापन।
- **टेस्टिंग एजेंसी अपग्रेड:** MHI के तहत टेस्टिंग एजेंसियों के आधुनिकीकरण के लिए ₹780 करोड़ आवंटित।

फास्ट ट्रैक कोर्स 2025
सामान्य अध्ययन प्रीलिम्स
क्या आप "प्री" के लिए तैयार हैं?
इस कोर्स का उद्देश्य
GS प्रीलिम्स कोर्स विशेष रूप से उन अभ्यर्थियों के लिए तैयार किया गया है जो GS पेपर I की तैयारी में अपने स्कोर को बढ़ाना चाहते हैं। इसमें GS पेपर I प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस, विगत वर्षों के UPSC पेपर का विश्लेषण और Vision IAS के क्लासरूम टेस्ट की प्रैक्टिस एवं चर्चा शामिल होगी। हमारा लक्ष्य है कि अभ्यर्थी बेहतर परफॉर्म करें और कोर्स पूरा करने के बाद अपने प्रीलिम्स स्कोर में एक बड़ा सुधार करें।
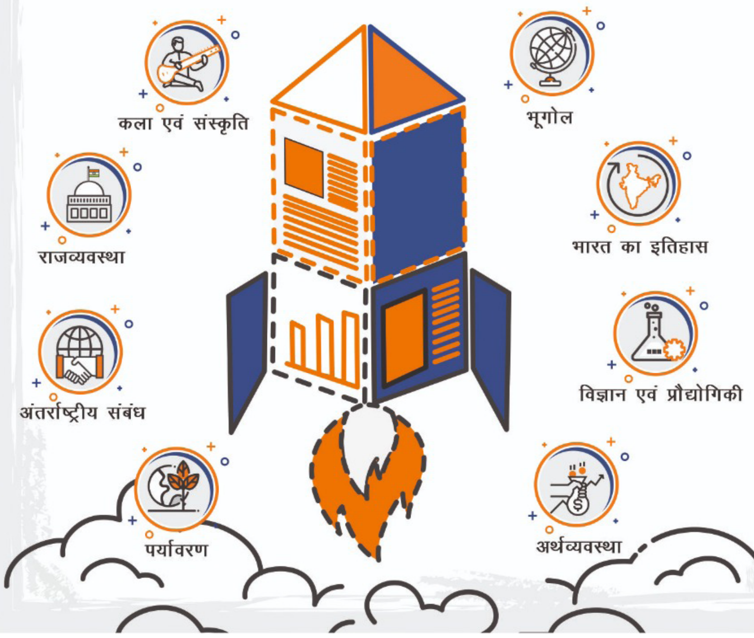

इसमें निम्नलिखित शामिल है:
पर्सनल स्टूडेंट प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस तक पहुंच
प्रीलिम्स सिलेबस के लिए विस्तृत, प्रासंगिक और अपडेटेड स्टडी मटेरियल की सॉफ्ट कॉपी
सेक्शनल मिनी टेस्ट और कॉम्प्रिहेंसिव करेंट अफेयर्स
हिन्दी माध्यम 7 OCT, 5 PM
ENGLISH MEDIUM 13 OCT, 2 PM

1.8 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry Of Housing And Urban Affairs)

1.8.1. स्मार्ट सिटीज़ मिशन (Smart Cities Mission)

संदर्भ

स्मार्ट सिटीज़ मिशन की समय सीमा **31 मार्च, 2025 को समाप्त** हो गई।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का प्रकार:** केंद्र प्रायोजित योजना।
- **योजना का उद्देश्य:** 100 स्मार्ट शहरों का विकास करना और उन्हें नागरिकों के अनुकूल बनाना।
- **स्मार्ट शहर:** स्मार्ट शहर की कोई **मानक परिभाषा नहीं** है।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** स्पेशल पर्पज व्हीकल।

अन्य उद्देश्य

- 'स्मार्ट समाधान' लागू करके **शहरों को मुख्य बुनियादी ढांचा, स्वच्छ और संधारणीय परिवेश प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित** करना।
- शहर के **सामाजिक, आर्थिक, भौतिक और संस्थागत पहलुओं पर व्यापक कार्य योजना** बनाकर **आर्थिक विकास को बढ़ावा** देना और **जीवन की गुणवत्ता में सुधार** करना।
- ऐसे **अनुकरणीय मॉडल तैयार करना** जो अन्य महत्वाकांक्षी शहरों के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करें।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि: 25 जून 2015** को शुरू किया गया **स्मार्ट सिटीज़ मिशन,** 100 शहरों में सक्षम सेवाओं, मजबूत बुनियादी ढांचे और टिकाऊ समाधानों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने का लक्ष्य रखता है, जिसमें आवास, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और मनोरंजन जैसे क्षेत्रकों पर ध्यान केंद्रित करके मॉडल शहरी स्थान बनाना है।
- **शहरों के चयन के लिए समान मानदंड:** इनका चयन ऐसे **न्यायसंगत मानदंडों** के आधार पर किया जाता है जो **राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश** में **शहरी आबादी** और **वैधानिक कस्बों की संख्या को समान महत्व** देते हों।
- **स्मार्ट सिटीज़ मिशन का दृष्टिकोण:** स्मार्ट सिटीज़ मिशन का कार्यान्वयन मुख्य रूप से दो तरीकों से किया जाता है:
  - **क्षेत्र-आधारित विकास (ABD):** चयनित क्षेत्रों में लक्षित हस्तक्षेप।
  - **पैन-सिटी परियोजनाएं:** पूरे शहर में प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान।
- **स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV):** इसे कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत **शहरी स्तर पर** एक **लिमिटेड कंपनी** के रूप में शामिल

किया गया है। **राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश और ULB प्रमोटर** हैं, जिनकी **इक्विटी शेयर धारिता 50:50 होती है।**

- **कार्य:** यह स्मार्ट सिटी विकास परियोजनाओं के **योजना-निर्माण, आकलन, अनुमोदन, क्रियान्वयन, प्रबंधन, संचालन, निगरानी, मूल्यांकन और इसके लिए धन वितरण** में मदद कर रहा है।

स्मार्ट सिटीज़ के छह मौलिक सिद्धांत

केंद्र में समुदाय	अभिसरण	कम संसाधन अधिक परिणाम	तकनीक का इस्तेमाल एक साधन के रूप में, न कि लक्ष्य के रूप में:	सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद:	एकीकरण, नवाचार और संधारणीयता:
योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन में समुदाय को केंद्र में रखना।	क्षेत्रक एवं वित्तीय अभिसरण।	कम संसाधनों का उपयोग करते हुए अधिक परिणाम प्राप्त करने की क्षमता।	तकनीकों का सावधानीपूर्वक चयन, उन्हें शहरों के उपयोग के अनुकूल होना चाहिए।	शहरों का चयन प्रतिस्पर्धा के आधार पर जबकि परियोजना क्रियान्वयन में लचीलापन।	नवाचार पद्धतियां, एकीकरण तथा संधारणीय समाधान।

- **फंडिंग:** केंद्र सरकार ने 5 वर्षों (वित्त वर्ष 2015 से लेकर 2020 तक) में **48,000 करोड़ रुपये, यानी प्रति शहर प्रति वर्ष औसतन 100 करोड़ रुपये तक** की वित्तीय सहायता प्रदान की है।
  - राज्य/ शहरी स्थानीय निकाय (ULB) द्वारा समान आधार पर एक समान राशि + अतिरिक्त निधि (नगरपालिका बॉन्ड्स, आदि)।

स्मार्ट सिटीज़ में प्रमुख अवसंरचनात्मक घटक

- प्रभावी शहरी आवागमन और सार्वजनिक परिवहन
- सुनिश्चित विद्युत आपूर्ति
- गुड गवर्नेंस विशेषकर ई-गवर्नेंस और नागरिक भागीदारी
- विशेषकर गरीबों के लिए किफायती आवास

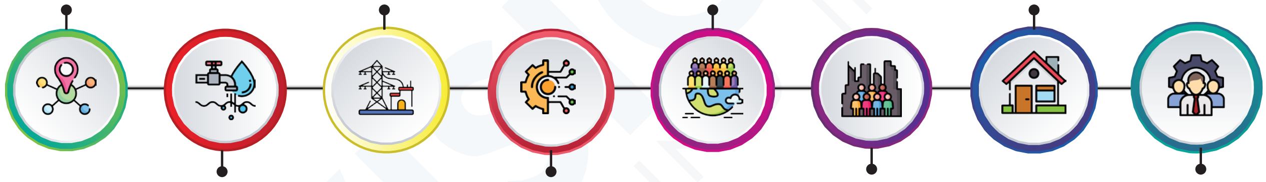

- जल की पर्याप्त आपूर्ति
- मजबूत आईटी. कनेक्टिविटी और डिजिटलीकरण
- संधारणीय पर्यावरण, नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित स्वच्छता

  - अतिरिक्त संसाधनों को निम्नलिखित घटकों से एकत्रित किया जाएगा:
    - ULB के स्वयं के कोष से,
    - वित्त आयोग द्वारा दिए जाने वाले अनुदान से,
    - म्युनिसिपल बॉण्ड जैसे नवीन फंडिंग विकल्प से, तथा
    - अन्य सरकारी कार्यक्रमों और उधारों के माध्यम से।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP):** निजी क्षेत्र का लाभ उठाने के लिए PPP पर जोर दिया गया है।
- **एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र (Integrated Control and Command Centres: ICCC):** इन्हें **सभी 100 स्मार्ट शहरों में शुरू** कर दिया गया है। इसके तहत **यातायात प्रबंधन, स्वास्थ्य, जल** आदि क्षेत्रकों में नागरिकों को कई ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
- **द इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड कॉन्टेस्ट (ISAC):** उन शहरों और परियोजनाओं को मान्यता देता है, जो सतत एवं समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देते हैं।

योजना से जुड़े प्रमुख मुद्दे

- **सीमित कवरेज: भारत की कुल आबादी के केवल 8 प्रतिशत या इसकी शहरी आबादी के मात्र 22 प्रतिशत** का ही स्मार्ट सिटीज़ मिशन से लाभान्वित होने की संभावना है।
- **ग्रामीण-शहरी संबंधों को संबोधित करने में विफलता:** यह ग्रामीण संकट, कृषि संकट और ग्रामीण निवेश की आवश्यकता को नजरअंदाज करते हुए शहरी क्षेत्रों में पलायन को अनदेखा करता है।

- **अधूरे प्रोजेक्ट्स:** चूँकि, समय सीमा समाप्त हो गई है, 100 शहरों में से केवल 18 ने सभी प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं। हालांकि, कुल प्रोजेक्ट्स का **केवल 7% अधूरा** है।
- **अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण की कमी:** AMRUT, SBM, PMAY, और NULM जैसी अन्य शहरी योजनाओं के साथ अभिसरण की कमी से लक्ष्यों में अतिव्यापन व दोहराव होता है तथा जवाबदेही में कमी आती है।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी को मजबूत करने और स्थायी वित्तपोषण तंत्र सुनिश्चित करने से दीर्घकालिक बुनियादी ढाँचे और नवाचार परिणामों में वृद्धि होगी।

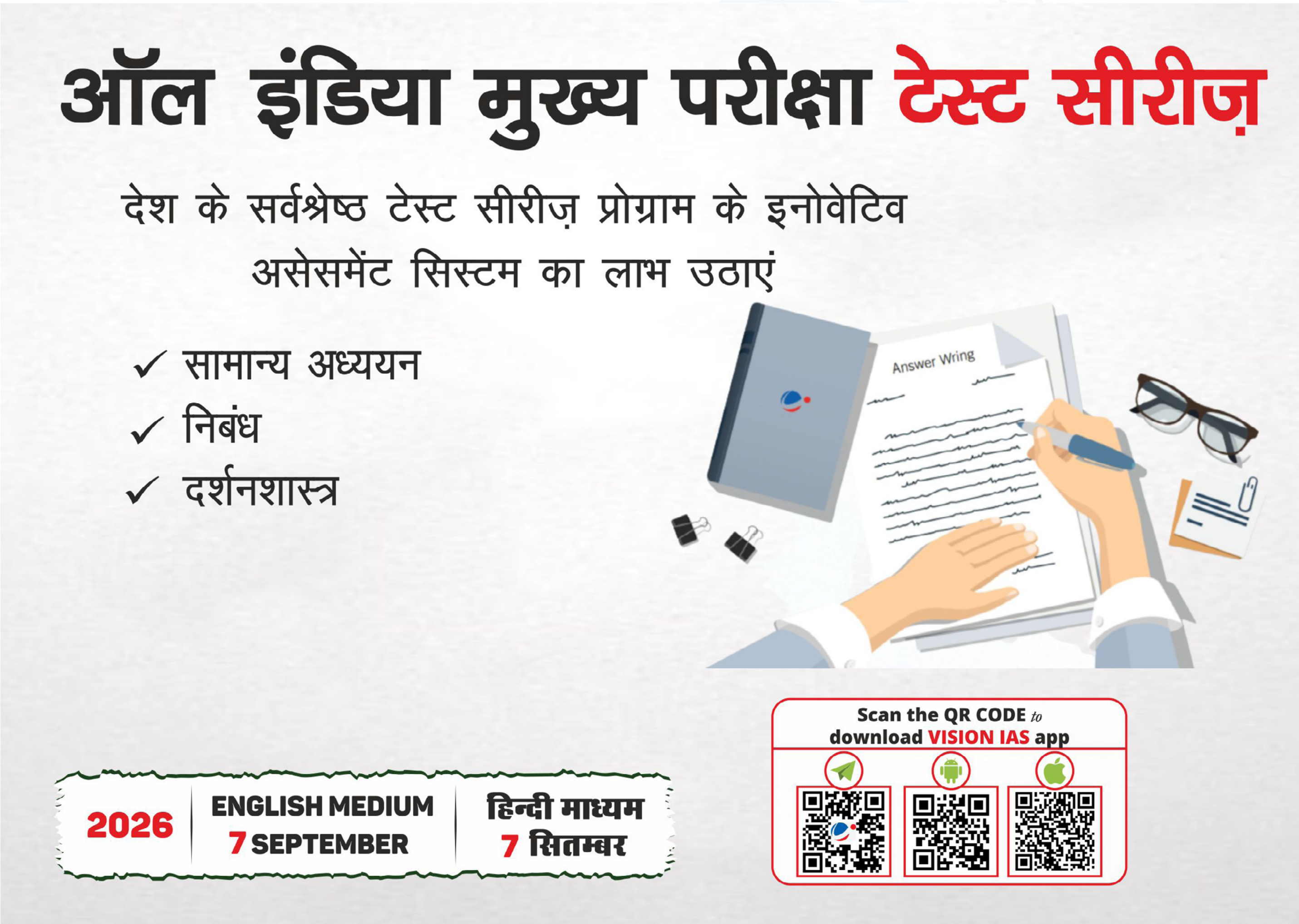

1.9 खान मंत्रालय (Ministry Of Mines)

1.9.1. प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana: PMKKKY)

संदर्भ

खान मंत्रालय प्रभावित समुदायों की सहायता के लिए एक **कार्यक्रम प्रबंधन इकाई स्थापित करने और PMKKKY के कार्यान्वयन हेतु राज्यों के साथ प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने** की योजना बना रहा है।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** सभी **जिला खनिज प्रतिष्ठानों (DMFs)** द्वारा विकास कार्यक्रमों के लिए कुछ न्यूनतम प्रावधान सुनिश्चित करना।
- **कानूनी मान्यता:** इसे केंद्र द्वारा **2015 में खान और खनिज (विकास और विनियमन) या MMDR अधिनियम, 1957** के तहत शुरू किया गया था।
- **लाभार्थी: प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित लोग और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र।**
- **जवाबदेही: DMF** के खातों के वार्षिक ऑडिट का प्रावधान करती है।

अन्य उद्देश्य

- **नन प्रभावित क्षेत्रों** में विभिन्न **विकासात्मक और कल्याणकारी परियोजनाओं/ कार्यक्रमों को लागू करना** तथा राज्य और केंद्र सरकार की मौजूदा चल रही योजनाओं/ परियोजनाओं को सहायता पहुंचाना।
- खनन वाले जिलों में पर्यावरण, लोगों के स्वास्थ्य और सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर खनन के दौरान एवं उसके बाद पड़ने वाले **प्रतिकूल प्रभावों को न्यूनतम/ कम करना।**
- खनन क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के लिए दीर्घकालिक **स्थायी आजीविका सुनिश्चित करना।**

प्रमुख विशेषताएं

- **जिला खनिज प्रतिष्ठान (DMF):** DMF वस्तुतः **MMDR अधिनियम, 1957** के तहत खनन से प्रभावित सभी जिलों में राज्य सरकारों द्वारा स्थापित एक गैर-लाभकारी ट्रस्ट है।
    - **DMF की गवर्निंग काउंसिल और प्रबंध समिति का अध्यक्ष:** जिले का जिला मजिस्ट्रेट/ डिप्टी कमिश्नर/ कलेक्टर।
        - मौजूदा खनन कंपनियों को **रॉयल्टी का 30% और जो कंपनियां नीलामी के जरिए खदानें प्राप्त करती हैं, उन्हें रॉयल्टी का 10%** (दी गई खनन पट्टे की तारीख के आधार पर) योगदान करना आवश्यक है। यह रॉयल्टी **खनन कंपनियों की ओर से राज्य सरकारों को भुगतान की जाने वाली रॉयल्टी** से अलग होती है।

- **प्रभावित क्षेत्र:**
  - **प्रभावित क्षेत्र: DMF** को खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों की एक **अपडेटड सूची** तैयार कर उनका रखरखाव करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
    - **प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र:** राज्य सरकार खदान या खदानों के क्लस्टर (लघु खनिजों के अलावा) से 15 कि.मी. के दायरे वाले क्षेत्र को **प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र** घोषित कर सकती है।
    - **अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र:** राज्य सरकार खदान या खदानों के क्लस्टर (लघु खनिजों के अलावा) के निकट के क्षेत्र (25 कि.मी. से ज्यादा दूर नहीं) को **अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र** घोषित कर सकती है, भले ही वह क्षेत्र संबंधित जिले या निकटवर्ती जिले के अंतर्गत ही क्यों ना आता हो
- **प्रभावित लोग: DMF** खनन से प्रभावित व्यक्तियों/ स्थानीय समुदायों की एक **अपडेटड सूची तैयार करेगा और उसकी देख-रेख** करेगा। इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:
  - **भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013** के तहत परिभाषित **'प्रभावित परिवार'** के साथ-साथ **'विस्थापित परिवार'।**
  - **संबंधित ग्राम सभा द्वारा उचित रूप से पहचाने** गए कोई अन्य परिवार/ व्यक्ति/ स्थानीय समुदाय।
- **फंड्स का उपयोग:**
  - **उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रक (जिनमें PMKKKY फंड का कम-से-कम 70% उपयोग किया जाना है):** पेयजल आपूर्ति; **पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण संबंधी उपाय;** स्वास्थ्य देखभाल; **शिक्षा**; महिलाओं और बच्चों का कल्याण; **वृद्धों और दिव्यांगों का कल्याण;** कौशल विकास और आजीविका सृजन; स्वच्छता; **आवास; कृषि;** पशुपालन।
  - **अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रक (जिनमें PMKKKY फंड का 30% तक उपयोग किया जाएगा):** भौतिक अवसंरचना; सिंचाई; ऊर्जा और जल संभर विकास; खनन प्रभावित जिले में पर्यावरणीय गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कोई अन्य उपाय।

अनुसूचित क्षेत्रों में PMKKKY फंड के उपयोग के समय निम्नलिखित प्रावधानों को ध्यान में रखना होगा

अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित संविधान की **अनुसूची V और अनुसूची VI** के संबंध में **अनुच्छेद 244**	**पंचायत प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996** {पेसा अधिनियम, 1996}	**अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006**

- **प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में फंड्स का वितरण:** DMF फंड का **न्यूनतम 70% केवल प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र में** खर्च किया जाएगा।
- **एंडोमेंट फंड (Endowment fund):** इसका उपयोग उन क्षेत्रों में सतत आजीविका सृजन के लिए किया जाना चाहिए जहां खनिज की कमी या किसी भी अन्य कारण से खनन गतिविधियां बंद हो गई हैं।
  - **10 करोड़ रुपये या उससे अधिक के वार्षिक संग्रह** वाले जिलों में **वार्षिक प्राप्तियों की अधिकतम 10%** राशि एंडोमेंट फंड के रूप में रखी जानी चाहिए।
  - एंडोमेंट फंड को **सरकारी प्रतिभूतियों/ बॉण्ड्स**, अनुसूचित बैंकों में फिक्स डिपॉजिट और **राज्य सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त अन्य जगहों पर निवेश किया जा सकता है।**
- **परियोजना प्रबंधन इकाइयां (PMUs): 50 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक संग्रह वाले DMF** को योजना बनाने तथा तकनीकी, लेखांकन और निगरानी सहायता के लिए एक PMU स्थापित करनी होगी।
- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT):** कार्यान्वयन से जुड़ी सभी एजेंसियों और लाभार्थियों को धनराशि का हस्तांतरण केवल DBT के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में किया जाएगा।

पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख प्रावधान

- **खनन से प्रभावित क्षेत्रों और लोगों की सूची, पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना, एंडोमेंट फंड के निवेश** का विवरण आदि DMF द्वारा एक वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।
- **RTI अधिनियम, 2005** के तहत स्वैच्छिक प्रकटीकरण
- **केंद्र सरकार** परियोजनाओं की मंजूरी, फंड जारी करने और परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक **ऑनलाइन पोर्टल तैयार करेगी।**
- DMF के खातों का ऑडिट CAG और DMF की ओर से नियुक्त **चार्टर्ड अकाउंटेंट** या सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य तरीके से किया जाएगा। उस ऑडिट रिपोर्ट को जनता के सामने भी प्रस्तुत किया जाएगा।

- **योजना के लिए आधारभूत सर्वेक्षण:** परिप्रेक्ष्य योजना निर्माण के लिए जिलों द्वारा एक आधारभूत सर्वेक्षण करवाया जाएगा। ग्राम सभा/ स्थानीय निकाय मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने में सहायता कर सकते हैं।
- **पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना:** बेसलाइन सर्वेक्षण या ऐसे किसी अन्य सर्वेक्षण/ मूल्यांकन के जरिए प्राप्त आंकड़ों और निहित कमियों के आधार पर, **DMF पांच साल के लिए एक रणनीति तैयार करेगा और उसे परिप्रेक्ष्य योजना में शामिल** किया जाएगा।
- **वार्षिक योजनाएं:** DMF की वार्षिक योजनाएं, पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना और पिछले वर्षों में अपने लक्ष्यों को पूरा करने में प्राप्त सफलता पर आधारित होंगी।
  - **परिप्रेक्ष्य योजना में शामिल न होने के बावजूद भी अति आवश्यक प्रकृति के कुछ अन्य कार्य और व्यय वार्षिक योजनाओं में जोड़े** जा सकते हैं। हालांकि, इनके लिए वार्षिक योजना का अधिकतम 10% ही खर्च किया जा सकता है।
- **शिकायत निवारण:** DMF **शिकायत निवारण के लिए उचित तंत्र** तैयार कर उसे अमल में लाएगा ताकि प्रत्येक शिकायत का निवारण किया जा सके, और कलेक्टर या किसी अन्य अधिकारी को शिकायत करने के **30 दिनों के भीतर** शिकायतकर्ता को उचित जवाब दिया जा सके।
- **अनुपालन तंत्र:** विशिष्ट प्रावधानों का पालन करने में विफल होने की स्थिति में DMF के लिए दंड प्रावधान किया गया है।

PMKKKY में अन्य योजनाओं से तालमेल

- DMF खनन प्रभावित क्षेत्रों में **सतत विकास लक्ष्यों** को हासिल करने के लिए चल रही केंद्रीय और राज्य योजनाओं के साथ तालमेल पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- **आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम** के तहत निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने हेतु प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- **राज्य और जिला योजनाओं के साथ अभिसरण प्राप्त करने के प्रयास किए जाएंगे, ताकि DMF द्वारा की जाने वाली गतिविधियां कल्याणकारी गतिविधियों का पूरक बन सकें और उन्हें राज्य योजना के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के रूप में माना जा सके।**
- **'प्रदूषक द्वारा भुगतान के सिद्धांत'** के तहत की जाने वाली गतिविधियों को **PMKKKY** के तहत अनुमति नहीं है।

योजना से जुड़े प्रमुख मुद्दे

- **निधियों का कम उपयोग:** उदाहरण के लिए- ओडिशा ने सबसे अधिक DMF राशि एकत्र की, लेकिन केवल 50% खर्च किया (CSEP, 2022)।
- **खर्च प्राथमिकताओं में असंतुलन:** 11 राज्यों में, PMKKKY के गरीबी और अभाव को कम करने के लक्ष्य के विपरीत तथा 30% से अधिक निधियों का उपयोग बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए किया गया (iForest रिपोर्ट)।
- **पारदर्शिता की कमी:** निधियों के उपयोग पर अपर्याप्त डेटा उपलब्धता और सीमित सार्वजनिक जानकारी जवाबदेही में बाधा डालती है।

DMF योजना को बेहतर बनाने के लिए, **सख्त पारदर्शिता और ऑडिट तंत्र** होने चाहिए। **समुदाय की भागीदारी और वास्तविक समय की निगरानी को मजबूत** करने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि निधियों का सही मायने में खनन-प्रभावित लोगों को लाभ मिले।

1.10 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry Of New & Renewable Energy)

1.10.1. पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (PM-Surya Ghar: Muft Bijli Yojana)

संदर्भ

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, प्रधान मंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना एक मील का पत्थर साबित हुई है, **10 मार्च तक 10 लाख घरों को सौर ऊर्जा से विद्युत मिल** चुकी है।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य:** सोलर **रूफटॉप पैनल की हिस्सेदारी** को बढ़ाना और **आवासीय परिवारों** को अपनी बिजली स्वयं पैदा करने के लिए **सशक्त बनाना।**
- **प्रकार: केंद्रीय क्षेत्रक** योजना।
- **मॉडल सौर ग्राम:** ग्रामीण क्षेत्रों में रूफटॉप सोलर सिस्टम (RTS) को अपनाने के लिए रोल मॉडल के रूप में प्रत्येक जिले में एक मॉडल सौर ग्राम विकसित किया जाएगा।
- **अवधि:** 2024 से 2026-27 तक।

अन्य उद्देश्य

- **आवासीय रूफटॉप सोलर सिस्टम (RTS) के माध्यम से 30 गीगावॉट (GW) सोलर कैपेसिटी** की स्थापना करना।
- **RTS की स्थापना** करके **1 करोड़ परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त/ सस्ती बिजली प्रदान करने में मदद** करना।
- योजना के तहत स्थापित क्षमता के जरिए **1,000 बिलियन यूनिट, नवीकरणीय बिजली** का उत्पादन करना।
- **घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने** के लिए विनियामकीय समर्थन, विनिर्माण संबंधी सुविधाएं, आपूर्ति श्रृंखला के साथ-साथ इसके लिए **आवश्यक इकोसिस्टम को विकसित** करना।
- ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के साथ-साथ **स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन को बढ़ावा** देना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि: पृष्ठभूमि:** 2019 में **ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के दूसरे चरण** को शुरू किया गया था। इसे **2025-26 तक लागू** किया जाना है। अब इस योजना को **पी.एम.-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना में शामिल कर दिया गया** है।
  - **चरण II ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर कार्यक्रम** का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में घरों सहित आवासीय क्षेत्रक में **CFA के माध्यम से 40 गीगावॉट RTS क्षमता जोड़ना** है।
- **CFA के लिए पात्रता:** ग्रिड से जुड़े आवासीय RTS सिस्टम, जो DISCOM मीटर से जुड़े हैं, वे CFA के लिए पात्र हैं, यदि वे छत, छत की बालकनी, बिल्डिंग इंटीग्रेटेड पीवी (BiPV) सिस्टम या एलिवेटेड स्ट्रक्चर पर स्थापित हैं।
  - **DISCOM द्वारा अनुमोदित ग्रुप और वर्चुअल नेट मीटरिंग भी CFA के लिए पात्र हैं।**

- **सब्सिडी संरचना:** सब्सिडी **घर की औसत मासिक बिजली खपत** और संबंधित उपयुक्त **रूफटॉप सौर संयंत्र क्षमता** के आधार पर भिन्न-भिन्न होती है।

आवासीय सौर ऊर्जा के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA)

आवासीय खंड के अनुसार CFA का विवरण

आवासीय खंड का प्रकार	CFA	CFA (विशेष श्रेणी वाले राज्य)
पहले 2 kWp की RTS क्षमता या उसका भाग	रु. 30,000/kWp	रु. 33,000/kWp
1 किलोवाट की अतिरिक्त RTS क्षमता या उसका भाग	रु. 18,000/kWp	रु. 19,800/kWp
3 किलोवाट से अधिक की अतिरिक्त **RTS** क्षमता	कोई अतिरिक्त CFA नहीं	कोई अतिरिक्त CFA नहीं
500 किलोवाट तक की ईवी चार्जिंग (प्रति घर 3 किलोवाट की दर से) सहित साझा सुविधाओं के लिए **ग्रुप हाउसिंग सोसायटी/ RWA** आदि	रु. 18,000/kWp	रु. 19,800/kWp

गणना के उदाहरण

उदाहरण 1: 1.5 kW System
CFA गणना: 30,000x1.5= 45,000

उदाहरण 2: 2.5 kW System
CFA गणना: (30,000 x 2) + (18,000x0.5) =69.000

- **CFA का लाभ उठाने के लिए शर्तें:**
  - CFA, स्थापित किए जाने वाले **इन्वर्टर के निरपेक्ष (आकार पर ध्यान दिए बिना) प्रदान किया जाएगा।**
  - स्थापना में प्रयुक्त सौर मॉड्यूल को **घरेलू सामग्री अनिवार्यता संबंधी शर्त** को पूरा करना होगा।
  - जो आवासीय उपभोक्ता/ RWA रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन हेतु नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के रूफटॉप सोलर सिस्टम हेतु पूर्व/ वर्तमान योजना के तहत CFA का लाभ उठा चुके हैं और जिन्होंने बाद में **RTS इंस्टॉलेशन का आकार बढ़ाया है,** वे वर्तमान योजना के तहत समग्र RTS संयंत्र के आकार के केवल 3 किलोवाट तक की शेष क्षमता के लिए अतिरिक्त CFA के लिए पात्र होंगे।
- **आवासीय RTS की स्थापना के लिए ऋण:** परिवार **3 किलोवाट तक की RTS प्रणालियों की स्थापना के लिए लगभग 7% के जमानत रहित (कोलैटरल फ्री) कम-ब्याज दर वाले ऋण** ले सकते हैं।
- **गुणवत्ता आश्वासन:** यह योजना CFA के लिए पात्र रूफटॉप सोलर हेतु **अनिवार्य न्यूनतम तकनीकी विशिष्टताओं** को तय करेगी।
- **राष्ट्रीय पोर्टल:** यह घरों को **सब्सिडी के लिए आवेदन करने, विक्रेताओं को चुनने, और प्रणाली की सिफारिशों तथा शिकायत निवारण तक पहुंचने** में मदद करता है।
- **राज्य द्वारा प्रदान किया जाने वाला अतिरिक्त अनुदान:** आवासीय क्षेत्रक में RTS के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए CFA के साथ-साथ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें **अतिरिक्त सब्सिडी** प्रदान कर सकती हैं।
- **स्थानीय निकायों को प्रोत्साहन:** शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों को RTS को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कृत किया जाएगा।
- **मॉडल गाँव:** प्रत्येक चयनित मॉडल सौर गाँव को **₹1 करोड़** प्रदान किए जाएँगे।
- **DISCOM प्रोत्साहन:** यह **अतिरिक्त ग्रिड से जुड़ी RTS क्षमता के स्थापित स्तर** पर आधारित है (**ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सौर चरण II योजना** के तहत उपलब्ध डेटा के अनुसार)।
  - प्रोत्साहन पहले **अतिरिक्त 18,000 मेगावाट** तक सीमित है, जिसमें **बेंचमार्क लागत का 5-10% प्रोत्साहन** है।

योजना से जुड़े प्रमुख मुद्दे

- **क्षेत्रीय असमानता:** कुछ राज्यों जैसे **गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश** में कुल घरेलू लाभार्थियों का लगभग 73% हिस्सा है (जनवरी 2025 तक), जबकि अन्य राज्यों का प्रतिनिधित्व कम है।
- **नेट मीटरिंग में देरी:** हालांकि, स्थापना में 2-3 दिन लगते हैं, लेकिन प्रक्रियात्मक बाधाओं के कारण अंतिम कमीशनिंग में अक्सर हफ्तों की देरी होती है।
- **पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ियां:** पीएम सूर्य घर पोर्टल में चल रही समस्याओं ने उपयोगकर्ताओं, विक्रेताओं और अधिकारियों को समान रूप से प्रभावित किया है।
- **असंवेदनशील व्यवहार:** वितरण कंपनी के अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए मांग-पक्ष प्रबंधन सेल द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद, कई कार्यालय रूफटॉप सौर ऊर्जा और इसके प्राथमिक आधारित कार्यान्वयन के बारे में नवीनतम आदेशों से अनभिज्ञ हैं।

प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए, योजना को **सख्त नेट मीटरिंग समय-सीमा, डिस्कॉम अधिकारियों के लिए क्षमता-निर्माण, और पोर्टल में तकनीकी उन्नयन** सुनिश्चित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, संतुलित राज्य-वार पहुंच और प्रोत्साहन अपनाने में क्षेत्रीय असमानताओं को कम किया जा सकता है।

1.11 पंचायती राज मंत्रालय (Ministry Of Panchayati Raj)

1.11.1. स्वामित्व योजना (SVAMITVA Scheme)

संदर्भ

अप्रैल 2020 में शुरू की गई **स्वामित्व योजना 2025 में 5 वर्ष पूरे** करेगी।

- स्वामित्व/ SVAMITVA का पूरा नाम है- ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी द्वारा ग्रामीण आबादी का सर्वेक्षण और मानचित्रण (**S**urvey of **V**illages **A**badi and **M**apping with **I**mprovised **T**echnology in **V**illage **A**reas)।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य:** ग्रामीण भारत के लिए एक **एकीकृत आवासीय (आबादी) संपत्ति स्वामित्व समाधान** प्रदान करना।
- **योजना का प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक** की एक योजना है।
- **प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन एजेंसी: भारतीय सर्वेक्षण** (Survey of India)।
- **अवधि: 2020-21 से 2024-25** तक।

अन्य उद्देश्य

- ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजना बनाने हेतु **भूमि का सटीक रिकॉर्ड तैयार करना** एवं **संपत्ति से जुड़े विवाद को कम करना।**
- ग्रामीणों को ऋण एवं अन्य वित्तीय लाभ उठाने के लिए उनकी संपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में उपयोग करने में समर्थ बनाकर **वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित करना।**
- **संपत्ति कर का निर्धारण करना।** यह कर राज्यों में प्रत्यक्ष रूप से उन ग्राम पंचायतों को प्राप्त होगा जहां इसे हस्तांतरित किया गया है या फिर, इसे राज्य के खजाने में जमा किया जाएगा।
- **सर्वेक्षण के लिए अवसंरचना** और **भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS)** मानचित्रों का निर्माण करना, जिनका उपयोग किसी भी विभाग द्वारा किया जा सकता है।
- GIS मानचित्रों का उपयोग करके **बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार करने में सहायता करना।**

प्रमुख विशेषताएं

- इस योजना का लक्ष्य **ग्रामीण परिवारों के मुखिया** को संपत्ति कार्ड/ स्वामित्व दस्तावेज के रूप में **'अधिकार अभिलेख (Record of rights)'** प्रदान करना है।
- **लक्ष्य: 6.62 लाख गांवों** को कवर करना।

योजना के तहत प्रमुख गतिविधियां

- **ड्रोन का उपयोग करके बड़े पैमाने पर मानचित्रण करना:** भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक के द्वारा ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों का मानचित्रण किया जाएगा।
  - योजना के तहत जियो-रेफरेन्स का उपयोग करके मानचित्र **तैयार किया जा रहा है।** यह ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्तियों की **डिजिटल तस्वीरों को कैप्चर करने में सहायक** होगा।
  - बनाए गए मानचित्रों के आधार पर संपत्ति कार्ड बनाने और उनका वितरण करने का **दायित्व संबंधित राज्य सरकार पर** है।
- **निरंतर संचालित रेफरेन्स स्टेशन (CORS) की स्थापना:** CORS नेटवर्क सटीक जियो-रेफरेंसिंग, भू-सत्यापन और भूमि सीमांकन के लिए महत्वपूर्ण है।
- **स्वामित्व डैशबोर्ड:** यह एक केंद्रीकृत ऑनलाइन निगरानी और रिपोर्टिंग डैशबोर्ड है, जो स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन की रियल टाइम प्रगति की निगरानी करता है।
- **डिजिलॉकर ऐप:** लाभार्थी डिजिलॉकर ऐप के जरिए संपत्ति कार्ड देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं।
- **ग्राम-मानचित्र (Gram Manchitra): स्थानिक नियोजन एप्लीकेशन 'ग्राम मानचित्र' एवं केंद्रीय अवसंरचना** के विकास के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) को धनराशि आवंटित की गई है।
- **जागरूकता अभियान:** योजना के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए **सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) गतिविधियां** शुरू की गई हैं।

योजना से जुड़े प्रमुख मुद्दे

- **ड्रोन मैपिंग के बाद देरी:** भारतीय सर्वेक्षण विभाग से प्राप्त मानचित्रों का राज्यों द्वारा तुरंत सत्यापन या अंतिम रूप नहीं दिया जाता है, जिससे संपत्ति कार्ड के वितरण में देरी होती है।
- **कमजोर समन्वय:** केंद्रीय निकायों, राज्य राजस्व विभागों और ग्राम पंचायतों के बीच खराब समन्वय कार्यान्वयन को धीमा कर देता है।
- **कोई कानूनी या वित्तीय समर्थन नहीं:** संपत्ति कार्ड में एक समान कानूनी मान्यता की कमी है और उन्हें अक्सर बैंकों द्वारा वित्तीय जमानत के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है।
- **खराब शिकायत तंत्र:** कई राज्यों में संपत्ति से संबंधित विवादों या मुद्दों को सुलझाने के लिए एक उचित प्रणाली का अभाव है।

राज्यों द्वारा **ड्रोन मानचित्रों का समय-सीमा के भीतर सत्यापन सुनिश्चित करना चाहिए और वित्तीय उपयोग को सक्षम करने के लिए संपत्ति कार्ड हेतु कानूनी स्पष्टता** स्थापित करनी चाहिए। डिजिटल एकीकरण के माध्यम से हितधारकों के समन्वय में सुधार करना चाहिए और **स्थानीय स्तर पर मजबूत शिकायत निवारण तंत्र स्थापित** करना चाहिए।

1.12 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (Ministry Of Petroleum And Natural Gas)

1.12.1. प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 {Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) 2.0}

संदर्भ

प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के तहत देश भर में **10 करोड़ 33 लाख से अधिक मुफ्त एलपीजी कनेक्शन** वितरित किए जा चुके हैं।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना के उद्देश्य:** इसका उद्देश्य महिलाओं को खाना पकाने का स्वच्छ ईंधन (LPG) प्रदान करके महिलाओं और उनके बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है।

- **योजना के तहत आवेदक:** केवल महिलाएं जिनकी **आयु कम-से-कम 18 वर्ष** हो।
- **योजना के लाभ:** नि:शुल्क रसोई गैस सिलेंडर का कनेक्शन।
- **प्राथमिक लाभार्थी:** महिलाएं एवं बच्चे।

अन्य उद्देश्य

- उन **निम्न-आय वाले परिवारों** की महिलाओं को **नि:शुल्क (deposit free) LPG कनेक्शन** प्रदान करना, जिन्हें PMUY के **पहले चरण के तहत शामिल नहीं किया** जा सका था।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** PMUY पहल का शुभारंभ **2016** में किया गया था। इसका उद्देश्य **8 करोड़ ग्रामीण और वंचित परिवारों को नि:शुल्क (deposit free) LPG कनेक्शन प्रदान** करना था।
  - **उज्ज्वला 2.0:** प्रवासी घरों के लिए विशेष सुविधा के साथ **PMUY** योजना के तहत 1.6 करोड़ अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन का आवंटन।
  - **वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26** के लिए **75 लाख अतिरिक्त कनेक्शन** अनुमोदित किए गए हैं, जिसका कुल लक्ष्य **10.35 करोड़ एलपीजी कनेक्शन** है।
- **PMUY के तहत पात्रता:** किसी गरीब परिवार की वयस्क महिला जिसके पास मौजूदा एलपीजी कनेक्शन नहीं है और जो कुछ मानदंडों को पूरा करती है (अधिक जानकारी के लिए इन्फोग्राफिक देखें)।

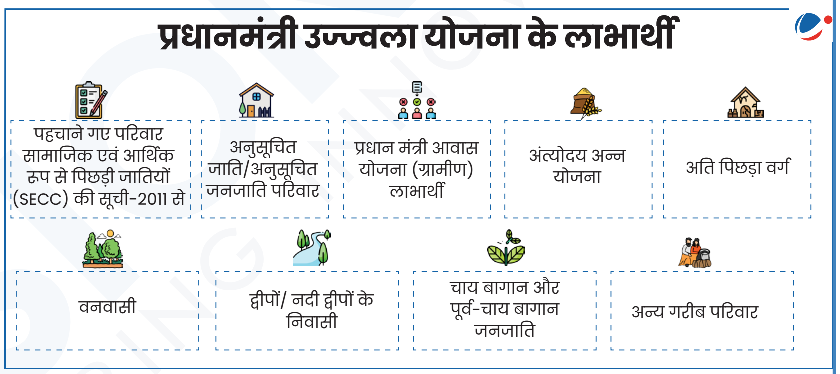

- **नामांकन:** पात्र महिला पते के प्रमाण, राशन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक विवरण के साथ निकटतम वितरक को KYC फॉर्म जमा करके आवेदन कर सकती है।
  - **प्रवासियों के लिए:** राशन कार्ड या पते के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, स्व-घोषणा पर्याप्त है।
- **सब्सिडी:** ₹1600 प्रति कनेक्शन + ₹300 प्रति 14.2 किलोग्राम रिफिल (प्रति वर्ष 12 रिफिल तक)।
- **अपात्रता:** किसी भी तेल विपणन कंपनी से मौजूदा एलपीजी कनेक्शन वाले परिवार।
  - जिस परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं है, वह इस योजना के तहत गैस कनेक्शन के लिए पात्र नहीं है।
- **एलपीजी पंचायत:** एलपीजी के सुरक्षित उपयोग और पारंपरिक ईंधन की तुलना में एलपीजी के उपयोग के लाभों पर चर्चा करने की परिकल्पना की गई है।

योजना से जुड़े प्रमुख मुद्दे

- **डेटा सत्यापन में खामियां: सीएजी (CAG)** ने अपात्र लाभार्थियों - पुरुष, नाबालिग, डुप्लीकेट; 12.46 लाख नामों में बेमेल का पता लगाया।
- **रिफिल दरें खराब:** प्रति वर्ष केवल 3.66 रिफिल का राष्ट्रीय औसत; कई परिवार उच्च लागत के कारण रिफिल नहीं कराते हैं।
- **क्षेत्रीय असमानताएं:** बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, अधिकांश लोग अभी भी जलाऊ लकड़ी पर निर्भर हैं; उत्तराखंड में रिफिल दर 1% जितनी कम है।
- **प्रणालीगत चूकें:** सीएजी ने केवाईसी में देरी, सिलेंडरों का दुरुपयोग और प्रशासनिक अक्षमताओं को उजागर किया है।

बेहतर लक्ष्यीकरण के लिए, **वास्तविक समय आधार कार्ड-आधारित सत्यापन को मजबूत** करना चाहिए और **लाभार्थी डेटाबेस को क्लियर** करते रहना चाहिए। वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए खासकर गरीब क्षेत्रों में **रिफिल सब्सिडी या लचीली कीमतें पेश** करनी चाहिए। **अंतिम-मील वितरण प्रणालियों को बढ़ाना चाहिए, KYC में तेजी लानी चाहिए तथा दुरुपयोग और देरी को रोकने** के लिए वितरण की निगरानी करनी चाहिए।

1.13 पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (Ministry Of Ports, Shipping And Waterways)

1.13.1. सागरमाला (SAGARMALA)

संदर्भ

सागरमाला कार्यक्रम के **10 वर्ष पूरे** हो गए हैं।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** कम-से-कम अवसंरचनात्मक निवेश के साथ **EXIM** (निर्यात-आयात) और घरेलू व्यापार के लिए लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना।
- **प्रकार: केंद्रीय क्षेत्रक** योजना है।
- **फंडिंग:** स्पेशल पर्पस व्हीकल्स (SPVs) के माध्यम से **इक्विटी सहायता और बजटीय सहायता।**
- **परियोजनाओं का कार्यान्वयन:** परियोजनाएं **निजी या सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)** मोड के माध्यम से शुरू की जाती हैं।

अन्य उद्देश्य

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की **7,500 किलोमीटर लंबी तट रेखा और लगभग 14,500 किलोमीटर नौवहन-योग्य जलमार्ग क्षमता** का उपयोग करके देश में आर्थिक विकास को गति प्रदान करना है।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि: सागरमाला** की अवधारणा को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 25 मार्च, 2015 को अनुमोदित किया गया था। यह भारतीय तटरेखा के समग्र विकास के लिए **राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (2016)** के अनुरूप है।
- **सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड:** यह **कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत राज्य/ क्षेत्रीय स्तर के **स्पेशल पर्पस व्हीकल्स (SPVs)** की सहायता के लिए स्थापित की गई है।
- **सागरमाला कार्यक्रम का संस्थागत ढांचा**
  - **राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति (NSAC)**
    - **संरचना:** पोत परिवहन मंत्री (अध्यक्ष), कैबिनेट मंत्री, समुद्र तटीय राज्यों के मुख्यमंत्री/ मंत्री।
    - **भूमिका:** नीतिगत मार्गदर्शन व उच्च-स्तरीय समन्वय प्रदान करती है; राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना को मंजूरी देती है; और योजना एवं कार्यान्वयन की समीक्षा करती है।
- **राज्य सागरमाला समिति**

- **संरचना:** मुख्यमंत्री/ बंदरगाहों के प्रभारी मंत्री, संबंधित विभाग/ एजेंसियां।
- **भूमिका:** सागरमाला परियोजनाओं का समन्वय करना और सुविधा प्रदान करना; NSAC के निर्देशानुसार मामलों को प्राथमिकता देना आदि।

सागरमाला के तहत परियोजनाओं की सूची को 5 स्तंभों में विभाजित किया गया है

बंदरगाह- आधारित औद्योगिकीकरण	तटीय समुदाय का विकास	तटीय पोत -परिवहन और अंतर्देशीय जल परिवहन	बंदरगाह आधुनिकीकरण	बंदरगाह कनेक्टिविटी
औद्योगिक क्लस्टर	कौशल विकास	तटीय पर्यटन	नए बंदरगाह	सड़कमार्ग
SIPC/SEZ	मात्स्यिकी	RO-RO/RO-PAX/पैसेंजर जेट्टी	बंदरगाह आधुनिकीकरण-बड़े बंदरगाह	रेलमार्ग
तापीय विद्युत संयंत्र	रोपवे	क्रूज पर्यटन	बंदरगाह आधुनिकीकरण-अन्य बंदरगाह	पाइपलाइन
बंदरगाह आधारित उद्योग	प्रौद्योगिकी केंद्र	तटीय अवसंरचना	जहाजों की मरम्मत	मल्टी-मॉडल हब्स
	समुदाय विकास	द्वीपीय विकास		
		अंतर्देशीय जलमार्ग		

- **विकास का लैंडलॉर्ड मॉडल:** एक मिश्रित सार्वजनिक-निजी बंदरगाह प्रणाली, जहां बंदरगाह प्राधिकरण भूमि पर अधिकार और उसका स्वामित्व रखता है, जबकि निजी कंपनियां कार्गो जैसे परिचालन को संभालती हैं।
  - **सागरमाला यंग प्रोफेशनल (SYP) योजना:** मंत्रालय में युवाओं, दूरदर्शियों और पेशेवरों को संलग्न करती है। लगभग 25 युवा पेशेवरों को 2 साल के लिए बुनियादी ढांचे, डेटा विश्लेषण और परियोजना प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए काम पर रखा जाता है। यह नियोजन और 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है।

योजना से जुड़े प्रमुख मुद्दे

- **पर्यावरणीय चिंताएं: 2019 तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ)** नियमों में किए गए संशोधनों ने सागरमाला और **भारतमाला** परियोजनाओं को कुछ सुरक्षा उपायों से छूट दी है, जिससे तटीय क्षरण एवं मछुआरा समुदायों के विस्थापन का डर बढ़ गया है।
- **कार्यान्वयन में देरी: टी.जी. वेंकटेश समिति ने वधावन** सर्व-मौसम बंदरगाह पर प्रगति की कमी पर चिंता जताई है और सागरमाला के तहत ₹20,000 करोड़ की लागत में वृद्धि का उल्लेख किया है।
- **कम बंदरगाह उत्पादकता: टी.जी. वेंकटेश समिति** ने उल्लेख किया है कि प्रमुख बंदरगाहों पर कुल क्षमता (2,500 मिलियन टन) में से, सभी प्रमुख बंदरगाहों पर केवल 1,248 मिलियन टन कार्गो स्थानांतरित किया गया था।

पारिस्थितिक नुकसान से बचने के लिए पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय पेश करने चाहिए और स्थानीय समुदाय से परामर्श को सुनिश्चित करना चाहिए। देरी और लागत में वृद्धि को रोकने के लिए परियोजना की मंजूरी में तेजी लानी चाहिए तथा अंतर-एजेंसी समन्वय में सुधार करना चाहिए। बंदरगाह की उत्पादकता और कार्गो थ्रूपुट में सुधार के लिए लॉजिस्टिक्स डिजिटलीकरण एवं स्वचालन को बढ़ावा देना चाहिए।

1.14 ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry Of Rural Development)

1.14.1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act)

संदर्भ

मनरेगा (MGNREGA) के तहत रोजगार सृजन में **82% वृद्धि** हुई है। वित्त वर्ष 2014-15 और वित्त वर्ष 2024-25 के बीच मनरेगा के तहत **3,029 करोड़ कार्य-दिवस सृजित** किए गए थे। यह पिछले दशक की तुलना में 82% की वृद्धि को दर्शाता है। साथ ही, **आधार-लिंक्ड भुगतान 100%** के करीब पहुंच गया है।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना के उद्देश्य: ग्रामीण क्षेत्रों में** अकुशल शारीरिक श्रम के जरिए **पूरक/ सहायक आजीविका को कानूनी अधिकार** बनाना।
- **योजना का प्रकार:** यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है।
- **लाभार्थी:** ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले **किसी भी परिवार का 18 वर्ष से अधिक आयु का सदस्य।**
- **निगरानी तंत्र:** ग्राम सभा द्वारा **सामाजिक लेखापरीक्षा** करके योजना की निगरानी की जाती है।

अन्य उद्देश्य

- यह योजना **एक वित्तीय वर्ष में उस ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के मजदूरी आधारित रोजगार की गारंटी** देती है, जिसका वयस्क सदस्य स्वेच्छा से **अकुशल शारीरिक श्रम** करने का इच्छुक होता है।

प्रमुख विशेषताएं

- **कवरेज:** इसमें सौ प्रतिशत नगरीय जनसंख्या वाले जिलों को छोड़कर देश का संपूर्ण क्षेत्र शामिल है।
- **वित्त-पोषण साझाकरण**
  - **केंद्र सरकार का योगदान:** अकुशल श्रम लागत का **100%** और **सामग्री लागत** का **75% वित्त पोषण** केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।
  - **राज्य सरकारों का योगदान:** राज्य सरकारें **सामग्री लागत का 25% हिस्सा** वहन करती हैं।
- **मांग-आधारित, जन-केंद्रित**
  - **रोजगार गारंटी:** ग्रामीण परिवारों के लिए प्रति वर्ष 100 दिनों का अकुशल कार्य।
    - यदि 15 दिनों के भीतर काम नहीं दिया जाता है, तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा।
- **अतिरिक्त रोजगार:**
  - **एक वित्तीय वर्ष में 50 दिनों का अतिरिक्त अकुशल श्रम आधारित रोजगार** उपलब्ध करवाया जाता है।
    - हालांकि, यह ग्रामीण क्षेत्रों में **सूखे/ प्राकृतिक आपदा की स्थिति में** ही लागू किया जाता है।
    - वन क्षेत्रों में निवास करने वाले **अनुसूचित जनजाति के प्रत्येक परिवार** को, 50 दिनों का अतिरिक्त रोजगार प्रदान किया जाता है। इसके लिए एक शर्त यह है, कि इन परिवारों के पास FRA अधिनियम 2006 के तहत प्रदान किए गए भूमि अधिकारों के अलावा **कोई अन्य निजी संपत्ति न हो।**

मजदूरी करने वाले के अधिकार

- पीने योग्य स्वच्छ जल
- आराम करने की सुविधा
- फर्स्ट एड बॉक्स एवं दवा की उपलब्धता
- 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों वाली कामकाजी महिलाओं के लिए बच्चों की देखभाल की सुविधा (चाइल्ड केयर की सुविधा का लाभ उठाने के लिए सामूहिक रूप से कम-से-कम 5 बच्चों की उपस्थिति आवश्यक है।)

- **राज्यों के विवेकाधिकार:** राज्य सरकारें अपने स्वयं के कोष से अधिनियम के तहत गारंटीकृत अवधि से अधिक अतिरिक्त रोजगार दिवस प्रदान करने के लिए प्रावधान कर सकती हैं।
- **श्रमिक लाभ:**
  - दिव्यांगता या मृत्यु के लिए दुर्घटना मुआवजा।
  - कम-से-कम 1/3 श्रमिक महिलाएं होनी चाहिए।
  - किए गए कार्य के आधार पर समान मजदूरी, जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) द्वारा सालाना संशोधित किया जाता है।

- भुगतान सीधे 15 दिनों के भीतर श्रमिकों के खातों में किया जाता है।
- **अपरिवर्तनीय प्रावधान:**
  - ग्राम पंचायत स्तर पर **श्रम-सामग्री अनुपात 60:40 रहेगा।**
  - बिना किसी ठेकेदार या मशीनरी (अनुमति के अलावा) के **केवल शारीरिक श्रम द्वारा कार्य निष्पादन।**
- **जॉब कार्ड और निगरानी**
  - ग्रामीण परिवार ग्राम पंचायत में जॉब कार्ड के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।
  - संपत्तियों को **इसरो (ISRO) और NIC के साथ GeoMGNREGA के माध्यम से जियोटैग** किया जाता है।

योजना से जुड़े प्रमुख मुद्दे

- **मजदूरी से संबंधित चिंताएं**
  - **गैर-समान मजदूरी:** मनरेगा की मजदूरी राज्यों के बीच बहुत भिन्न होती है (₹193–₹318), जिससे असमानता पैदा होती है।
  - **भुगतान में देरी:** निष्क्रिय आधार खातों या फ्रीज किए गए बैंक खातों के कारण अक्सर भुगतान रोक दिया जाता है।
- **कमजोर सामाजिक ऑडिट:** ग्राम सभाओं द्वारा सामाजिक ऑडिट खराब तरीके से किए जाते हैं। 2020-21 में, 2.6 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में से केवल 29,000 का ऑडिट किया गया था।
- **लोकपाल की कमी:** शिकायतों का समाधान करने के लिए आवश्यक 715 लोकपालों में से केवल 263 को नियुक्त किया गया है, जो खराब केंद्र-राज्य समन्वय को दर्शाता है।

राज्यों में एक समान न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करनी चाहिए और भुगतान में देरी को रोकने के लिए बैंक-खाता सत्यापन को सरल बनाना चाहिए। पारदर्शिता के लिए सामाजिक ऑडिट को अनिवार्य बनाना चाहिए और उनका डिजिटलीकरण करना चाहिए। लोकपालों की नियुक्ति में तेजी लानी चाहिए और प्रभावी शिकायत निवारण के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए।

1.15 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (Ministry Of Social Justice And Empowerment)

1.15.1. नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज़्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम योजना (National Action for Mechanized Sanitation Ecosystem: NAMASTE)

संदर्भ

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) तथा UNDP **नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज़्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम (NAMASTE) योजना** के तहत इसके **कचरा बीनने वालों के घटक** के तहत सहयोग कर रहे हैं।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना।
- **प्रकार: केंद्रीय क्षेत्रक** योजना।
- **नोडल कार्यान्वयन एजेंसी:** राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास निगम (NSKFDC)
- **अवधि:** 2022-23 से 2025-26 तक।

अन्य उद्देश्य

- भारत में सफाई कार्यों में **शून्य मृत्यु दर** सुनिश्चित करना।
- किसी भी सफाई कर्मचारी का **सीधे तौर पर मानव मल से संपर्क नहीं** होगा।
- सफाई कर्मचारियों को **स्वयं सहायता समूहों (SHG) में संगठित** किया जाएगा और उन्हें सफाई उद्यम चलाने के लिए सशक्त बनाया जाएगा।
- सभी **सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारियों (SSW) को वैकल्पिक आजीविका** तक पहुंच प्राप्त होगी।
- सुरक्षित सफाई कार्यों के प्रवर्तन और निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए **राष्ट्रीय, राज्य एवं शहरी स्थानीय निकाय (ULB) स्तर पर पर्यवेक्षी व निगरानी प्रणालियों को मजबूत** किया जाएगा।
- पंजीकृत और कुशल सफाई कर्मचारियों से सेवाएं लेने के लिए **सफाई सेवाओं के चाहने वालों (व्यक्तियों एवं संस्थाओं) के बीच जागरूकता** बढ़ाई जाएगी।
- **हाथ से मैला उठाने वालों (MS) तथा सीवर और सेप्टिक टैंक की जोखिमपूर्ण सफाई में लगे व्यक्तियों (SSW) का पुनर्वास** किया जाएगा।
- प्रशिक्षित और प्रमाणित सफाई कर्मचारियों के माध्यम से सीवर एवं सेप्टिक टैंक की सुरक्षित व मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा दिया जाएगा।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि: मैला उठाने वालों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना (SRMS)** 2007 में शुरू की गई थी। 2023 में, इस योजना का नाम बदलकर **NAMASTE** कर दिया गया था। NAMASTE **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय** की एक संयुक्त पहल है।
- **कवरेज:** इसे भारत के सभी **शहरी स्थानीय निकायों (ULBs)** (वर्तमान में लगभग 4800 से अधिक ULBs) सहित परा-सरकारी (Parastatal) निकायों (जल बोर्ड आदि), छावनी बोर्डों (नागरिक क्षेत्रों) आदि में लागू किया जाएगा।
- **अमृत (AMRUT) शहरों के साथ अभिसरण:** इस चरण के तहत 500 शहरों (AMRUT शहरों के साथ अभिसरण) को NAMASTE के तहत कवर किया जाएगा।
- **सीवर/ सेप्टिक टैंक कर्मचारियों (SSWs) की पहचान:** सिटी NAMASTE प्रबंधक उन **SSWs** की पहचान करेंगे, जो खतरनाक सफाई कार्यों में लगे हुए हैं।
- **अन्य मंत्रालयों/ विभागों के साथ अभिसरण**
  - **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय: आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)** के तहत SSWs और हाथ से मैला उठाने वालों एवं उनके परिवारों के स्वास्थ्य बीमा कवरेज के लिए।
  - **उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग:** मशीनीकृत सफाई के लिए उपकरणों/ मशीनों के विकास में नवाचार को बढ़ावा देने तथा उसी के लिए स्टार्ट-अप की पहचान करने हेतु।
  - **पेयजल और स्वच्छता विभाग:** प्रत्येक जिले के सबसे बड़े शहरी स्थानीय निकाय में स्थापित **आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाई (ERSU)** शहरी क्षेत्रों के परिधीय क्षेत्र में आपातकालीन सफाई अभियान का संचालन करेगी, भले ही वे ग्रामीण क्षेत्राधिकार में हों।
  - **कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय: PMKVY** के साथ अभिसरण में **SSWs** को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए।
- **स्थानीय निकायों की जिम्मेदारियां**
  - सीवर और सेप्टिक टैंकों को **जियो टैग करना और उनका डेटाबेस** तैयार करना।
  - आपातकालीन सफाई को रोकने के लिए **सीवर लाइनों का निवारक रखरखाव** करना।
  - अपने शहर/ कस्बे के लिए **सबसे उपयुक्त तकनीकी समाधान** की पहचान करना।
  - सेप्टिक टैंकों द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले क्षेत्रों में, एक **सेप्टेज प्रबंधन प्रणाली** स्थापित करना। इसमें एक **मल-गाद प्रबंधन संयंत्र (Faecal Sludge Management Plant)** शामिल होगा।
  - स्थानीय प्राधिकरण **सेप्टिक टैंक के डिज़ाइन का मानकीकरण** करेगा और उसे अपनाना सुनिश्चित करेगा।

- **कार्यान्वयन निकाय**
    - **सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) अभियान:** ये अभियान **शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) तथा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (NSKFDC)** द्वारा संचालित किए जाएंगे। साथ ही, **सोशल मीडिया का भी अधिकतम उपयोग** किया जाएगा।
    - **निगरानी:** योजना के कार्यान्वयन के लिए **संपन्न गतिविधियों की तिमाही निगरानी** हेतु केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर एक **तीन-स्तरीय कार्य समूह** होगा।

उत्तरदायी स्वच्छता प्राधिकरण (RSA)	स्वच्छता प्रतिक्रिया इकाई (SRU)	निजी स्वच्छता सेवा संगठन (PSSOs)
अध्यक्ष: जिला मजिस्ट्रेट, या उसके द्वारा नामित अधिकारी, जो उप-मंडल मजिस्ट्रेट के पद से नीचे का नहीं होगा।	**द्वारा गठित:** RSA	**यंत्रीकृत सफाई:** PSSOs केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित कर्मियों एवं आवश्यक उपकरणों का ही उपयोग करेंगे।
कार्य: स्वच्छता प्रतिक्रिया इकाइयों के लिए कानूनी प्राधिकारी (SRUS) निजी स्वच्छता सेवा संगठनों (PSSOS) को लाइसेंस जारी करेगा। SRU के माध्यम से उपलब्ध सेवाओं के प्रचार हेतु IEC अभियान संचालित करना।	**कार्य:** प्रत्येक SRU में आपातकालीन अवरोधों से निपटने के लिए लाइसेंस प्राप्त PSSOs और पर्याप्त मशीनरी एवं प्रशिक्षित सीवर प्रवेश पेशेवरों (SEP) का एक पैनल होगा। शिकायत दर्ज करने के लिए 24X7 हेल्पलाइन नंबर।	**मैनुअल सफाई:** PSSOs मैनुअल सफाई के लिए सुरक्षा उपकरण निर्धारित करेंगे।
अधिकार क्षेत्र: जिलों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र .	**अधिकार क्षेत्र:** प्रमुख नगरपालिका	

योजना से जुड़े प्रमुख मुद्दे

- **सत्यापन और प्रोफाइलिंग में चुनौतियां:** अवैध प्रवासियों और जाली पहचान दस्तावेजों के कारण श्रमिकों, विशेष रूप से कचरा बीनने वालों की प्रोफाइलिंग में कठिनाई आती है।
- **अपर्याप्त सुरक्षा प्रावधान:** कुछ वितरण (45,000 से अधिक PPE किट, 354 सुरक्षा किट) के बावजूद, सफाई कर्मचारियों को अभी भी खतरनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।
    - **सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर संसदीय समिति** ने सुरक्षा उपकरणों की कमी एवं लापरवाही के कारण लगातार हो रही मौतों का उल्लेख किया।
- **प्रशिक्षण और औपचारीकरण में खामियां:** संसदीय समिति ने मानव मल के साथ शून्य प्रत्यक्ष संपर्क के लिए प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षित पेशेवरों को काम पर रखने के लिए लोक जागरूकता बढ़ाने का आग्रह किया।

राज्यों में **समान न्यूनतम मजदूरी** सुनिश्चित करनी चाहिए और भुगतान में देरी को रोकने के लिए बैंक-खाता सत्यापन को सरल बनाना चाहिए। पारदर्शिता के लिए **सामाजिक ऑडिट को अनिवार्य** बनाना चाहिए और उनका डिजिटलीकरण करना चाहिए। **लोकपालों की नियुक्ति** में तेजी लानी चाहिए और प्रभावी शिकायत निवारण के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए।

1.16 वस्त्र मंत्रालय (Ministry Of Textiles)

1.16.1. राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (National Technical Textiles Mission)

संदर्भ

राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के **5 वर्ष पूरे** हुए।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** भारत में तकनीकी वस्त्रों के उपयोग को बढ़ाना और भारत को तकनीकी वस्त्रों में वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करना।
- **प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक योजना।
- **अवधि:** 2020-21 से 2025-2026 तक।
- **मेक इन इंडिया को बढ़ावा:** तकनीकी वस्त्रों आदि के लिए **स्वदेशी मशीनरी और प्रक्रिया उपकरणों के विकास** के माध्यम से।

अन्य उद्देश्य

- भारत को **तकनीकी वस्त्रों में एक वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित** करना, विभिन्न प्रमुख मिशनों व कार्यक्रमों में तकनीकी वस्त्रों के उपयोग को बढ़ावा देना।
- **लागत-अर्थव्यवस्था, जल और मृदा संरक्षण, बेहतर कृषि उत्पादकता तथा किसानों के लिए उच्च आय** में समग्र सुधार लाना।

प्रमुख विशेषताएं

- **चार घटक**
  - **अनुसंधान, नवाचार और विकास:** फाइबर स्तर पर मौलिक अनुसंधान और तकनीकी वस्त्रों में अनुप्रयोग-आधारित अनुसंधान।
    - देश के सरकारी संगठनों/ प्रमुख अनुसंधान संस्थानों/ वस्त्र अनुसंधान संघों (TRAs) को दी गई अनुसंधान परियोजनाओं के वित्त-पोषण के लिए ₹1,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
  - **संवर्धन और बाजार विकास:**
    - **लक्ष्य:** 2024 तक घरेलू बाजार के आकार को 40-50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाते हुए प्रति वर्ष 15-20% की औसत वृद्धि दर।
    - **गतिविधियां:** अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सहयोग, निवेश संवर्धन और 'मेक इन इंडिया' पहल आदि।
  - **निर्यात संवर्धन:** वर्ष 2023-24 तक प्रति वर्ष **निर्यात में 10 प्रतिशत औसत वृद्धि** सुनिश्चित करना। इस श्रेणी में प्रभावी बेहतर तालमेल और संवर्द्धन गतिविधियों के लिए एक **तकनीकी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद** की स्थापना की जाएगी।
  - **शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल विकास:**
    - उच्चतर इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी स्तरों पर तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना।
    - नवाचार और इनक्यूबेशन केंद्रों का निर्माण और 'स्टार्ट-अप्स' एवं उद्यमों को बढ़ावा देना।
- **पर्यावरण-अनुकूल:** प्रयुक्त तकनीकी वस्त्रों के पर्यावरणीय स्थायी निपटान के लिए उपयुक्त उपकरण विकसित करना।
- **तकनीकी वस्त्रों में इंटर्नशिप सहायता के लिए अनुदान (GIST):** इसका उद्देश्य तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में शिक्षा जगत-उद्योग संबंधों का समर्थन करना है। इसमें, **प्रति छात्र प्रति माह अधिकतम 2 महीनों की अवधि के लिए ₹20,000 तक की वित्तीय सहायता** दी जाएगी।
- **तीन स्तरीय** कार्यान्वयन तंत्र।

तकनीकी वस्त्रों के बारे में

- ये कार्यात्मक वस्त्र होते हैं, जिनका विभिन्न उद्योगों में उपयोग किया जाता है। इनमें ऑटोमोबाइल, सिविल इंजीनियरिंग व निर्माण, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, औद्योगिक सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा आदि शामिल हैं।

- तकनीकी वस्त्र को दरअसल ऐसी वस्त्र सामग्री और उत्पादों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनका उपयोग **उनके सौंदर्य या सजावटी विशेषताओं की बजाय उनके तकनीकी प्रदर्शन और कार्यात्मक यानी फंक्शनल गुणों** के आधार पर किया जाता है। जैसे- बुलेट प्रूफ जैकेट, अग्निरोधी जैकेट, उच्च ऊंचाई वाले लड़ाकू उपकरण, आदि।

स्तर I: मिशन संचालन समूह, जिसका नेतृत्व वस्त्र मंत्री करेंगे।

स्तर II: एक अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति, जिसका नेतृत्व वस्त्र सचिव करेंगे।

स्तर III: नीति आयोग के एक सदस्य की अध्यक्षता में अनुसंधान, विकास और नवाचार पर तकनीकी वस्त्रों पर समिति।

योजना से जुड़े प्रमुख मुद्दे

- **आयातित मशीनरी पर निर्भरता:** आयातित आईटी मशीनरी पर अत्यधिक निर्भरता के कारण बाधाएं।
- **कुशल जनशक्ति की कमी:** प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी जो क्षेत्रीय विकास में बाधा डाल रही है।
- **कम वैश्विक बाजार हिस्सेदारी:** भारतीय तकनीकी वस्त्र उद्योग का आकार लगभग 22.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि वैश्विक तकनीकी वस्त्र उद्योग का आकार 272 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।
- **कम निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता: वियतनाम और बांग्लादेश** जैसे देश कम लागत वाले वस्त्र उत्पादों के निर्यात में भारत से आगे हैं।

PLI जैसी योजनाओं के तहत **तकनीकी वस्त्र मशीनरी के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा** चाहिए। **ITIs** और उद्योग भागीदारी के माध्यम से **कौशल कार्यक्रमों का विस्तार** करना चाहिए। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए **निर्यात प्रोत्साहन प्रदान** करना चाहिए और **लॉजिस्टिक्स को आसान** बनाना चाहिए।

Lakshya

लक्ष्य प्रीलिम्स और मेन्स इंटीग्रेटेड मेंटरिंग प्रोग्राम 2026

प्रारंभ: 29 अगस्त

UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा 2026 के लिए रणनीतिक रिवीजन, प्रैक्टिस और परामर्श हेतु 12 माह का कार्यक्रम)

- जीएस प्रीलिम्स और मेन्स के लिए रिवीजन और प्रैक्टिस हेतु 12 महीने की रणनीतिक योजना।
- यूपीएससी प्रीलिम्स और मेन्स के सिलेबस का संपूर्ण कवरेज।
- सीनियर मेंटर्स की अत्यधिक अनुभवी और योग्य टीम द्वारा मार्गदर्शन।
- प्रीलिम्स और मेन्स के लिए अधिक स्कोरिंग क्षमता वाले विषयों पर बल।
- ठोस प्रैक्टिस के माध्यम से करेंट अफेयर्स और सीसैट की तैयारी पर ध्यान।
- लक्ष्य प्रीलिम्स प्रैक्टिस टेस्ट (LPPT) और लक्ष्य मेन्स प्रैक्टिस टेस्ट (LMPT) की उपलब्धता।
- 25,000+ प्रश्नों के व्यापक संग्रह के साथ संधान पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज।
- बेहतर उत्तर लेखन कौशल का विकास।
- प्रीलिम्स और मेन्स दोनों के लिए विषय–वार रणनीतिक डॉक्यूमेंट और स्मार्ट कंटेंट।
- निबंध और नीतिशास्त्र के प्रश्नपत्र पर विशेष बल।
- ग्रुप और व्यक्तिगत परामर्श सत्र।
- लाइव प्रैक्टिस, साथी अभ्यर्थियों के साथ डिस्कशन और स्ट्रेटजी पर चर्चा।
- नियमित मूल्यांकन, निगरानी और प्रदर्शन में सुधार।
- आत्मविश्वास निर्माण और मनोवैज्ञानिक रूप से तैयारी पर बल।
- टॉपर्स, नौकरशाहों और शिक्षाविदों के साथ इंटरैक्टिव सत्र।

WWW.VISIONIAS.IN 8468022022

ENQUIRY@VISIONIAS.IN /VISION_IAS WWW.VISIONIAS.IN /C/VISIIONIASDELHI VISION_IAS /VISIONIAS_UPSC

2. सुर्ख़ियों में रही फ्लैगशिप योजनाएं (FLAGSHIP SCHEMES IN FOCUS)

2.1. मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान {PM Gati Shakti National Master Plan (NMP) for Multimodal Connectivity}

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य:** उद्योगों की **उत्पादकता और रोजगार के अवसरों** में सुधार करना।
- **मुख्य संचालक:** इसमें 7 मुख्य क्षेत्रक यानी, रेलवे, सड़क, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, जन परिवहन, लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर शामिल होंगे।
- **लाभ:** सभी **विभाग समन्वय में काम कर पाएंगे, परियोजनाओं में लगने वाले समय और लागत में कमी** आएगी।
- **दायरा:** इसमें सामाजिक और भौतिक बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं शामिल हैं।

अन्य उद्देश्य

- विभिन्न आर्थिक क्षेत्रकों में मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी हेतु बुनियादी ढांचा प्रदान करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** 2021 में, इस परियोजना को 100 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू किया गया था, ताकि भारत के **बुनियादी ढांचे को बदलने के लिए एक परिवर्तनकारी और टिकाऊ दृष्टिकोण को बढ़ावा** दिया जा सके।
- **डिजिटल प्लेटफॉर्म:** मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के लिए गति शक्ति या NMP **बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन हेतु विभिन्न मंत्रालयों को एक साथ लाने वाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म** है।
- **समग्र सरकार दृष्टिकोण:** यह प्लेटफॉर्म मंत्रालयों के बीच अवसंरचना कनेक्टिविटी परियोजनाओं के एकीकृत नियोजन और समन्वित कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करता है।

2024-25 तक हासिल किये जाने वाले प्रमुख लक्ष्य

220 हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट और जलीय एरोड्रोम्स बनाना, ताकि दोहरी विमानन प्रणाली तैयार की जा सके	4.52 लाख सर्किट कि.मी. बिजली लाइनों और 225 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना	डबल गैस पाइपलाइन नेटवर्क	11 औद्योगिक गलियारे और दो नए रक्षा गलियारे	2 लाख कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग	रेलवे 1,600 मिलियन टन का कार्गो संभालेगा और अपने नेटवर्क के 51% हिस्से पर बोझ को कम करेगा

- **भू-मानचित्रण (Geo-Mapping)**
  - **भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियोइंफॉर्मेटिक्स (BiSAG-N)** द्वारा विकसित मानचित्र के जरिए **रियल टाइम अपडेट** के साथ सभी **बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की डायनामिक मैपिंग प्रदान की** जाती है।
  - यह **मानचित्र ओपन-सोर्स प्रौद्योगिकियों** की सहायता से बनाया गया है और **भारत सरकार के क्लाउड (मेघराज) पर सुरक्षित रूप से होस्ट** किया गया है।

- **डेटा अपडेशन:**
  - **अलग-अलग मंत्रालय को समय-समय पर अपना डेटा अपडेट करने के लिए एक अलग लॉगिन आई.डी. दी जाती है।**
  - वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (MoCI) का **लॉजिस्टिक्स प्रभाग सभी हितधारकों को उनके डेटाबेस को अपडेट करने में सहायता** करता है।
- **अंतरक्षेत्रीय और अंतर-मंत्रालयी सहयोग:** सामाजिक क्षेत्रक से जुड़े 14 मंत्रालयों/ विभागों को शामिल किया गया है, जैसे- पंचायती राज मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, डाक विभाग, आदि।

2.2 संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (Member of Parliament Local Area Development Scheme: MPLADS)

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य:** स्थानीय विकास के मामले में **असमानता की समस्या का समाधान करना।**
- **योजना के प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- **फंड:** इस योजना के तहत **प्रत्येक सांसद को सालाना 5 करोड़ रुपये आवंटित** किए जाते हैं। यह **फंड व्यपगत नहीं** होता है, अर्थात् बचे हुए पैसे को अगले साल खर्च किया जा सकता है।
- **निधि का जारी होना:** आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने पर सीधे **जिला प्राधिकारियों को सहायता अनुदान के रूप में।**

उद्देश्य

- पेयजल, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़कों इत्यादि के क्षेत्र में **स्थानीय स्तर पर अनुभव की जाने वाली आवश्यकताओं** के आधार पर **स्थायी सामुदायिक संपत्तियों** के निर्माण कार्यों हेतु सिफारिश करने के लिए संसद सदस्यों को सक्षम बनाना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** इस योजना की घोषणा 1993 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत की गई थी। हालांकि, अक्टूबर 1994 से, योजना का प्रशासन MoSPI के पास है।
  - **कोरोना महामारी** के मद्देनजर, MPLADS को निलंबित कर दिया गया था और वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान योजना के लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई थी।
- **MPLADS निधि का सांसदों को आवंटन:** प्रत्येक सांसद को स्थानीय जरूरतों के आधार पर संधारणीय सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए विकास कार्यों की सिफारिश करने हेतु प्रति वर्ष **₹5 करोड़** मिलते हैं।
- **कुल बजट:** योजना का वार्षिक बजट **₹4000 करोड़** है, जिसका उपयोग जिला प्राधिकरणों द्वारा स्वीकृत अनुशंसित कार्यों के कार्यान्वयन के लिए किया जाता है।
- **कार्यान्वयन एजेंसी: IDA** द्वारा **MPLADS** कार्य को निष्पादित करने के लिए चयनित सरकारी विभाग, ट्रस्ट और सहकारी समितियां।
  - **कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण (IDA)** कार्यान्वयन जिले का प्रशासनिक प्रमुख है।
- **परियोजना रखरखाव:** उपयोगकर्ता एजेंसी (जिसे सार्वजनिक उपयोग के लिए परियोजनाएं सौंपी जाती हैं) को संचालन और रखरखाव लागत वहन करनी होगी।

- **पारदर्शिता और जवाबदेही**
  - **eSAKSHI पोर्टल:** यह MPLADS परियोजनाओं के कुशल और पारदर्शी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है।
  - **RTI की प्रयोज्यता:** MPLAD योजना का कोई भी पहलू सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अधीन है।
    - **IDA** ऐसी जानकारी जनता को प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)

- LS **लोक सभा सांसद:** अपने निर्वाचन क्षेत्र के भीतर।
- RS **राज्य सभा सांसद:** अपने चुनाव वाले राज्य के भीतर।
- NM **नामित सांसद:** भारत में कहीं भी।

परियोजना लागत आवश्यकताएँ:
MPLADS के तहत प्रत्येक परियोजना की लागत **कम से कम ₹2.5 लाख** होनी चाहिए।
जिला प्राधिकरण यदि वे सार्वजनिक हित में हों तो **छोटी परियोजनाओं को भी मंजूरी** दे सकते हैं।

अपवाद:
सांसद अपनी निधि से प्रति वर्ष **₹25 लाख** अपने क्षेत्र के बाहर भी खर्च करने की अनुशंसा कर सकते हैं।
किसी आपदा की स्थिति में, सांसद प्रभावित जिले के लिए **₹1 करोड़ तक की अनुशंसा** कर सकते हैं।

एससी/एसटी (SC/ST) के लिए निधि आवंटन के विशेष प्रावधान

अनुसूचित जाति (SC) क्षेत्र: MPLADS फंड का कम-से-कम **15%**।

अनुसूचित जनजाति (ST) क्षेत्र: MPLADS फंड का कम-से-कम **7.5%** ।

यदि किसी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में जनजातीय आबादी कम है तो MPLAD फंड का उपयोग उन क्षेत्रों में किया जा सकता है, जहां मुख्य रूप से अनुसूचित जाति निवास करती है (इसके विपरीत स्थिति में भी ऐसा ही होगा)।

- **चुनाव का प्रभाव:** एक बार स्वीकृत होने के बाद, परियोजनाओं को उत्तराधिकारी नए सांसद द्वारा बदला नहीं जा सकता।
- **परियोजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन के लिए प्रावधान**
  - सांसद फंड जारी होने का इंतजार किए बिना नई परियोजनाओं की सिफारिश कर सकते हैं।
  - वार्षिक आहरण सीमाएं प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में आवंटित की जाती हैं, जो कुछ शर्तों के अधीन होती हैं।
  - भुगतान कार्यान्वयन प्राधिकरणों द्वारा अधिकृत होने के बाद, **CAN** से सीधे विक्रेताओं को वास्तविक समय में किया जाता है।
- **MPLADS निधियों का अन्य योजनाओं के साथ एकीकरण:** यदि **MPLADS** दिशा-निर्देशों के तहत पात्र हैं, तो **MPLADS** निधियों को अन्य केंद्र/ राज्य योजनाओं और स्थानीय निकायों की परियोजनाओं के साथ एकीकृत किया जा सकता है।

3. अपने ज्ञान का परीक्षण कीजिए (TEST YOUR LEARNING)

Q1. प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. योजना के प्रमुख उद्देश्यों में से एक सटीक सिंचाई और अन्य जल-बचत प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण को बढ़ाना है।
2. PMKSY के तहत वाटरशेड विकास घटक को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q2. UDAN (उड़े देश का आम नागरिक) योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह योजना क्षेत्रीय कनेक्टिविटी फंड से प्राप्त व्यवहार्यता अंतराल वित्त-पोषण (VGF) के माध्यम से एयरलाइंस को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
2. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) इसकी कार्यान्वियन एजेंसी है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q3. इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह योजना पूंजीगत व्यय या वृद्धिशील टर्नओवर, या दोनों के हाइब्रिड रुपों के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करती है।
2. भारत में पूरी तरह से नई घटक विनिर्माण इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए केवल ग्रीनफील्ड निवेश ही इस योजना के तहत पात्र हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q4. प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

3. इसका उद्देश्य संगठित क्षेत्रक के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
4. योजना में शामिल कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर प्रतिमाह कम-से-कम 3000 रुपये की सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q5. प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. योजना के तहत, 10 लाख रुपये से अधिक और 30 लाख रुपये तक की राशि के लिए तरुण प्लस (Tarun Plus) ऋणों को प्राथमिकता दी जाती है।
2. इसका उद्देश्य वंचित सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सस्ती ऋण सुविधा प्रदान करके औपचारिक वित्तीय प्रणाली में शामिल करना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q6. प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह योजना जैविक खेती और प्रमाणीकरण को बढ़ावा देने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है।
2. यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें केंद्र और राज्यों का समान वित्तीय योगदान होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q7. पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत प्रोत्साहन के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी लक्षित श्रेणी नहीं है?
(a) इलेक्ट्रिक बसें (e-buses)
(b) इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन (e-2Ws)
(c) इलेक्ट्रिक एंबुलेंस
(d) इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर

Q8. स्मार्ट सिटीज मिशन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. शहर के चयन के लिए किसी राज्य में वैधानिक कस्बों और शहरी आबादी दोनों की संख्या को समान भारांश दिया जाता है।
2. सभी स्मार्ट सिटी परियोजनाएं, पैन-सिटी कार्यान्वयन दृष्टिकोण पर आधारित हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q9. प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह योजना खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के कानूनी फ्रेमवर्क के तहत कार्यान्वित की जाती है।
2. यह केवल खनन के कारण विस्थापित लोगों को मुआवजा प्रदान करने पर केंद्रित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q10. पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इस योजना का लक्ष्य औद्योगिक क्षेत्रक में 30 गीगावॉट की रूफटॉप सौर क्षमता स्थापित करना है।
2. इसमें प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर ग्राम की अवधारणा शामिल है।
3. यह परिवारों को अपनी बिजली उत्पन्न करने और प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ उठाने में सक्षम बनाती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q11. स्वामित्व योजना के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसका उद्देश्य आबादी वाले क्षेत्रों में स्वामित्व के लिए ड्रोन-मैप संबंधी सर्वेक्षणों के आधार पर ग्रामीण नागरिकों को संपत्ति कार्ड प्रदान करना है।
2. प्रगति की निगरानी और संपत्ति कार्ड तक डिजिटल पहुंच प्रदान करने के लिए क्रमशः स्वामित्व डैशबोर्ड और DigiLocker ऐप का उपयोग किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q12. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह विशेष रूप से 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की निम्न-आय वाले परिवारों की महिलाओं को निशुल्क LPG कनेक्शन प्रदान करती है।
2. इसका प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने की सौर-आधारित प्रणालियों के उपयोग को बढ़ावा देना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q13. सागरमाला कार्यक्रम के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति (NSAC) की अध्यक्षता केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री करते हैं और इसमें तटीय राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं।
2. सागरमाला द्वारा अपनाए गए लैंडलॉर्ड मॉडल के तहत, निजी कंपनियां पत्तन भूमि को पट्टे पर लेती हैं और उसका संचालन करती हैं, जबकि पत्तन प्राधिकरण स्वामित्व और विनियामकीय नियंत्रण रखता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q14. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. केंद्र सरकार अकुशल श्रम के लिए मजदूरी का 100% और सामग्री लागत का 75% वहन करती है, जबकि शेष 25% सामग्री लागत को राज्य वहन करते हैं।
2. मनरेगा के तहत काम पूरा होने के 30 दिनों के भीतर मजदूरों के बैंक खातों में मजदूरी जमा करना अनिवार्य है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q15. नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज़्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम (NAMASTE) योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसका उद्देश्य भारत में सफाई कार्यों में शून्य मृत्यु दर हासिल करना है।
2. इसकी नोडल कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास निगम है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q16. राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसका उद्देश्य भारत में तकनीकी वस्त्रों के उपयोग को बढ़ाना और भारत को तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी के रूप में स्थापित करना है।
2. इसके निर्यात संवर्धन घटक के तहत, 2023-24 तक प्रति वर्ष 10% की औसत निर्यात वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी वस्त्रों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना की जानी है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q17. स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन मैपिंग के लिए प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन एजेंसी कौन-सी है?
(a) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO)
(b) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC)
(c) भू-स◌्थानिक आयोग (Geospatial Commission)
(d) भारतीय सर्वेक्षण विभाग (Survey of India)

Q18. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) 2.0 के तहत, निःशुल्क LPG कनेक्शन के लिए आवेदन करने के लिए कौन पात्र है?
(a) निम्न-आय वाले परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य
(b) 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाएं
(c) महिला या पुरुष के निरपेक्ष परिवार का मुखिया
(d) केवल 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं

Q19. मनरेगा (MGNREGA) के तहत, योजना के सामाजिक लेखा परीक्षा के संचालन के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है?
(a) जिला कलेक्टर
(b) ग्रामीण विकास मंत्रालय
(c) पंचायत समिति
(d) ग्राम सभा

Q20. सागरमाला कार्यक्रम के तहत, कौन-सा निकाय नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करता है और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (National Perspective Plan) को मंजूरी देता है?
(a) राज्य सागरमाला समिति
(b) राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति
(c) सागरमाला विकास कंपनी लिमिटेड
(d) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

उत्तर

1	2	3	4
उत्तर: A	**उत्तर: C**	**उत्तर: A**	**उत्तर: B**

5	6	7	8
उत्तर: B	**उत्तर: D**	**उत्तर: D**	**उत्तर: A**

9	10	11	12
उत्तर: A	**उत्तर: B**	**उत्तर: C**	**उत्तर: A**

13	14	15	16
उत्तर: C	**उत्तर: A**	**उत्तर: C**	**उत्तर: C**

17	18	19	20
उत्तर: D	**उत्तर: B**	**उत्तर: D**	**उत्तर: B**

VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

OUR ACHIEVEMENTS

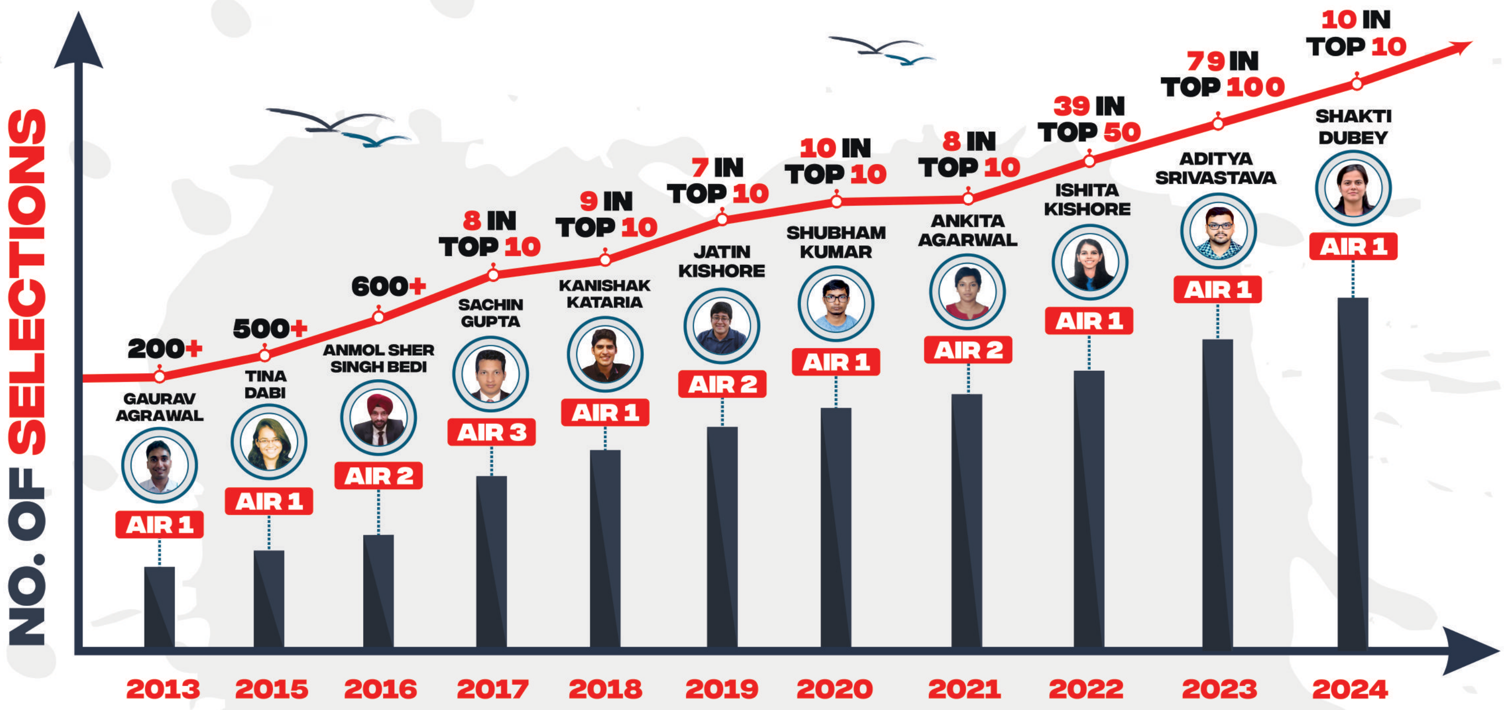

LIVE/ONLINE Classes Available

www.visionias.in

Foundation Course
GENERAL STUDIES
PRELIMS cum MAINS 2026, 2027 & 2028

DELHI : 26 AUGUST, 2 PM | 30 AUGUST, 8 AM | 9 SEPT, 11 AM
18 SEPT, 8 AM | 25 SEPT, 5 PM

GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar): 29 JULY, 6 PM | 22 AUG, 6 PM

हिन्दी माध्यम 11 सितम्बर, 2 PM

AHMEDABAD: 12 JULY | BENGALURU: 25 AUG | BHOPAL: 18 AUG | CHANDIGARH: 18 JUNE

HYDERABAD: 3 SEP | JAIPUR: 5 & 10 AUG | JODHPUR: 10 AUG | LUCKNOW: 29 AUG | PUNE: 14 JULY

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2026

▸ प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

DELHI : 11 सितम्बर, 2 PM | JAIPUR : 20 जुलाई | JODHPUR : 15 सितम्बर

Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.

/visionias.upsc | /c/VisionIASdelhi | /c/VisionIASdelhi | /t.me/s/VisionIAS_UPSC

DELHI: GMMR 33, Pusa Road, Near Karol Bagh Metro Station, Opposite Pillar No. 113, Delhi - 110005 | **CONTACT:** 8468022022, 9019066066

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

Heartiest Congratulations
to all Successful Candidates

10 in **TOP 10** Selections in **CSE 2024** from various programs of **Vision IAS**

1 AIR Shakti Dubey

2 AIR Harshita Goyal
GS Foundation Classroom Student

3 AIR Dongre Archit Parag
GS Foundation Classroom Student

4 AIR Shah Margi Chirag

5 AIR Aakash Garg

6 AIR Komal Punia

7 AIR Aayushi Bansal

8 AIR Raj Krishna Jha

9 AIR Aditya Vikram Agarwal

10 AIR Mayank Tripathi

हिंदी माध्यम में 30+ चयन CSE 2024 में

137 AIR Ankita Kanti

182 AIR Ravi Raaz

438 AIR Mamata

448 AIR Sukh Ram

509 AIR Amit Kumar Yadav

DELHI

HEAD OFFICE
33, Pusa Road,
Near Karol Bagh Metro Station,
Opposite Pillar No. 113,
Delhi - 110005

MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor,
Mukherjee Nagar, Opposite Punjab
& Sindh Bank, Mukherjee Nagar

GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office,
above Gate No. 2, GTB Nagar
Metro Building, Delhi - 110009

FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call:
+91 8468022022,
+91 9019066066

enquiry@visionias.in /@visionias hindi /visionias.upsc /vision_ias_hindi/ /hindi_visionias

अहमदाबाद बेंगलूरु भोपाल चंडीगढ़ दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे राँची